प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ.. सच

माही की गूंज

www.mahikihunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

आपकी अनुमति के बिना आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता...
-महात्मा गांधी

वर्ष-06, अंक-02 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरुवार 12 अक्टूबर 2023 | पृष्ठ-8, मूल्य-5 रुपए

मध्यप्रदेश कमल का या कमलनाथ का फैसला 17 नवंबर को

माही की गूंज, संजय भटेवरा

2023 के चुनाव में राजनीतिक तस्वीर 2018 के मुकाबले की ठीक उल्टी दिखाई दे रही थी। 2018 में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के एकमात्र दावेदार और चेहरा शिवराज सिंह वहीं कांग्रेस असमंजस की स्थिति में थी और कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व (कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया व दिग्विजय सिंह) के सहारे चुनाव लड़ा था लेकिन 2023 के चुनाव में स्थिति ठीक उल्टी है। कांग्रेस की ओर से चेहरा तथा मुख्यमंत्री पद का दावेदार तय (कमलनाथ) है, वहीं भाजपा शिवराज सिंह चौहान के इतने लंबे कार्यकाल के बावजूद सामूहिक नेतृत्व के सहारे चुनावी समर में कूद रही है। भाजपा ने तय किया है कि, वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीद्वार घोषित नहीं करेगी। यानी अब तक जिस रणनीति के तहत वो कांग्रेस को घेरती आई है अब उसी का जवाब भाजपा को देना है। अब तक बिना दूल्हे की बारात का ताना कांग्रेस को देने वाली भाजपा के लिए सवाल का जवाब देना आसान नहीं होगा।

चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार पांच राज्यों में चार चरण में मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 200, छत्तीसगढ़ की 90, तेलंगाना 119 व मिजोरम की 40 सीटों के लिए मतदान होगा तथा सभी

सीटों पर मतों की गिनती का काम 3 दिसंबर को किया जाएगा। यानी 3 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। तीन प्रमुख हिंदी भाषी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है, यहां अन्य कोई और तीसरा दल इन दोनों प्रमुख दलों को टक्कर देगा इसकी संभावना कम लग रही है। जबकि तेलंगाना में वर्तमान में बीआरएस व मिजोरम में एमएनएफपार्टी सत्ता में है।

जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है चुनावी तैयारी में भाजपा कांग्रेस के मुकाबले आगे है। मध्य प्रदेश में पार्टी नम चार सूची के साथ 136 उम्मीद्वार तय कर दिए है पार्टी ने बूथ लेवल की तैयारी के साथ मतदाता सूची में पन्ना प्रमुख तक बना दिए हैं। वहीं कांग्रेस भले ही अपनी सूची तय नहीं कर पाई है लेकिन पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा के साथ पूरा फीडबैक ले लिया है और चुनाव लड़न के लिये प्रत्याशियों को इशारा कर दिया है, वे पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं और पार्टी ने ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक की तैयारिया पूर्ण कर ली है।

लाडली बहना v/s ग्यारह गारंटी

भाजपा की ओर से हाल ही में लागू की गई लाडली बहना योजना को पार्टी अपना मुख्य हथियार मान रही है। भाजपा का कहना है कि, प्रदेश में लगभग डेढ़ करोड़ महिलाओं को लाडली बहना योजना अंतर्गत 1250 रुपए हर माह का लाभ मिल रहा है और यह योजना चुनाव में गेम चेंजर साबित होगी, जिसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की ओर से ग्यारह गारंटी दी जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि, समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर दी गई ग्यारह गारंटी जिसमें महिलाओं को 1500 रूपये प्रतिमाह, 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट तक आधा बिल, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम प्रमुख है के सहारे कांग्रेस इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। आगामी 35 दिनों तक आम जनता दोनों ही प्रमुख दलों के दावे-वादों और आश्वासनों को सुनेगी, समझेगी और उनका आकलन करेगी उसके बाद 36वें दिन मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना निर्णय दे देगी और आम जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया है... प्रदेश में कमल का राज कायम रहेगा या कमलनाथ वापसी करेगी। इसका निर्णय तो 3 दिसंबर को ही पता चल सकेगा।

नायडू को उच्च न्यायालय से मिली राहत

अमरावती, एजेंसी।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमरावती इनर रिंग रोड मामले में पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी हैं। उनके द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बहस सुनने वाली अदालत ने अस्थायी जमानत दी और मामले में 16 अक्टूबर तक गिरफ्तारी न करने का अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने सीआईडी को अंगालू 307 मामले में गुरुवार तक कोई गिरफ्तारी नहीं करने का भी निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीआईडी विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट द्वारा दायर इनर रिंग रोड याचिका पर पीटी वारंट पर रोक लगा दी। आरोप है कि, आंध्र प्रदेश की 2014-2019 के बीच रही सरकार में उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और इस दौरान अमरावती के मास्टर प्लान की डिजाइनिंग और रिंग रोड और अन्य सड़कों को जोड़ने की योजना में धांधली की गई।

बेटे ने घोटाले में निभाया अहम रोल

टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश को इस मामले में 14वां आरोपी बनाया गया है। सीआईडी का आरोप है कि नारा लोकेश ने अमरावती इनर रिंग रोड के आदेश में बदलाव कर लाभ कमाया और घोटाले में अहम भूमिका निभाई। सीआईडी ने ही टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश के खिलाफमामला दर्ज किया था। इस पर नारा लोकेश की कानूनी सलाहकार टीम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की लेकिन अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और नारा लोकेश को सीआईडी की पूछताछ में सहयोग करने को कहा है। सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत दिए गए नोटिस में नारा लोकेश को पूछताछ के लिए पुलिस अधिकारी के सामने पेश होना होगा।

सपा नेता आजम खान के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम राहत

नई दिल्ली, एजेंसी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला खान आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी उत्तर प्रदेश की ट्रायल कोर्ट को आदेश दी जाए कि जब तक उनके नाबालिग होने के दावे की पुष्टि न हो जाए तब तक उनके खिलाफकोई फैसला न सुनाई जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को मुरादाबाद के जिला न्यायाधीश को आदेश दिया था कि, वह किशोर न्याय अधिनियम के तहत मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां के नाबालिग होने के पहलू पर फैसला करें फैसले को आगे के विचार के लिए उसके पास भेजें।

कभी-कभी कानून न्याय के रास्ते में खड़ा होता है- कपिल सिब्बल

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ से कहा कि, जब तक नाबालिग होने के दावे पर रिपोर्ट पेश नहीं हो जाती, तब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट को लंबित आपराधिक मामले में आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा जाए। अगर ट्रायल कोर्ट अंतिम आदेश पारित नहीं करता है तो आसमान नहीं गिरने वाला है3 कभी-कभी कानून न्याय के रास्ते में खड़ा होता है। यह उस तरह का मामला है।

ये है मामला...?

वर्ष 2008 में अब्दुल्ला आजम खान और उनके पिता आजम खान के खिलाफभारतीय दंड संहिता की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना) और 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि, 29 जनवरी 2008 को मुरादाबाद के छजलैट में पुलिस चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने अब्दुला आजम की कार को चेकिंग के लिए रोका तो अब्दुल्ला आजम वहीं धरने पर बैठ गए थे।

अमित शाह के हाथ में कमान आने के बाद बढ़ा एनआईए का दायरा

नई दिल्ली।

2019 में अमित शाह के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद एनआईए का दायरा काफी बढ़ गया है। 2019 तक जहां एनआईए की केवल 9 ब्रांच थीं अब 18 ब्रांच हो गई हैं। वहीं मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अभी 10 ब्रांच और शुरू होंगी। इसके अलावा एनआईए की मैनपावर भी बढ़ाया गया है। हाल ही में मंत्रालय ने एक अडिशनल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट को मंजूरी दी है। इसके अलावा एजेंसी के लिए 6 आईजी पुलिस की भी नियुक्ति की जाएगी।

2008 के बाद स्थापित एनआईए को लेकर पहले यही फैसला किया गया था कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा और राज्यों की राजधानी में रीजनल ऑफिस होंगे। हालांकि आतंकवाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए एनआईए की ब्रांच अलग-अलग शहरों में खोली गई। मंत्रलाय के

मुताबिक एनआईए अभी 510 मामलों की जांच कर रही है। इसमें बहुत सारे केस यूएपीए से संबंधित हैं। वहीं भारत और विदेश में खालिस्तानी आतंकियों पर शिकंजा कसने का काम भी एनआईए कर रहा है। एनआईए की जो नई ब्रांच खोली गई हैं उनमें रायपुर, रांची, अहमदाबाद, चेन्नई और लखनऊ शामिल हैं। वहीं गुवाहाटी, कोच्चि और हैदराबाद की ब्रांच इस समय आतंकवाद से संबंधित मामलों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। खास तौर पर आईएसआईएस के संदिग्धों को लेकर अलर्ट रहती है। बता दें कि पीएफआई पर कार्रवाई करने में भी एनआईए के बड़ा सहयोग था। मंत्रालय के मुताबिक, बिते वर्ष दिसंबर तक एनआईए ने 479 केस दर्ज किए हैं। इनमें से 398 की चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। 115 केसों का ट्रायल पूरा हो चुका है। 108 केस में सजा सुनाई जा चुकी है। हाल ही में एनआईए के सम्मेलन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एजेंसियों को आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार आतंकवाद के इकोसिस्टम को खत्म करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफकॉमन ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाने की दिशा में काम करना होगा।

मेरा युवा भारत' स्वायत्त निकाय निर्माण को मिली मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को युवा विकास और युवा-नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वायत्त निकाय 'मेरा युवा भारत' (एमवाई भारत) की स्थापना को मंजूरी दे दी। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। यह संस्था युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और सरकार के संपूर्ण दायरे में एक विकसित भारत का निर्माण करने के लिए समान पहुंच प्रदान करेगी। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए ठाकुर ने कहा कि 'मेरा युवा भारत' का प्राथमिक उद्देश्य इसे ''युवा विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच'' बनाना है। उन्होंने कहा कि यह पार्थिव शरीर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।

गर्भपात मामला: सुप्रीम कोर्ट की दो जजों वाली पीठ ने सुनाया अलग-अलग फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी।

सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने एक विवाहित महिला को 26 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने के नौ अक्टूबर के फैसले को वापस लेने संबंधी केंद्र की याचिका पर बुधवार को अलग-अलग फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने नौ अक्टूबर को आदेश पारित किया था। पीठ ने कहा कि केंद्र की याचिका को अब मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के पास भेजा जाए ताकि उसे उचित पीठ के समक्ष भेजा जा सके। न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कहा कि, वह महिला को गर्भपात की इजाजत नहीं दे सकती हैं, जबकि न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने केंद्र की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि सोच समझकर पहला आदेश पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नौ अक्टूबर को महिला को गर्भपात कराने की इजाजत दी थी। दरअसल, कोर्ट ने यह गौर किया कि महिला अवसाद से पीड़ित है और भावनात्मक, आर्थिक और मानसिक रूप से तीसरे बच्चे को पाल नहीं सकती है।

इजरायल-हमास जंग के बीच भारत ने बनाया कंट्रोल रूम

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारत ने इजरायल और फिलिस्तीन पर नजर रखने और अपने नागरिकों को सहायता मुहैया कराने के लिए विदेश मंत्रालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहेगा। दरअसल, हमास आतंकवादियों के हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया है। इसके बाद से ही इन इलाकों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। हमास के अटैक में लगभग एक हजार 200 इजरायली मारे गए और 2 हजार 400 घायल हैं। वहीं, इजरायल के पलटवार में 950 फिलिस्तीनियों के मारे जाने का दावा किया गया है। इजरायल में 18 हजार भारतीय नागरिक रह रहे हैं। अभी तक इनमें से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों की मानें तो कि, भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने की योजना नहीं बनाई गई है क्योंकि इसे लेकर अब तक कोई अपील नहीं की गई है। इजरायल में रह रहे भारतीयों में लगभग 900 छात्र, बुजुर्गों की देखभाल करने वाले लोग, हीरा व्यापारी और आईटी पेशेवर शामिल हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'इजरायल और फिलिस्तीन के घटनाक्रम पर नजर रखने और सहायता मुहैया कराने के लिए विदेश मंत्रालय में 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया गया है।

चुनाव तत्काल: सावधान आप आचार संहिता के घेरे में...

माही की गूंज झाबुआ, मुज्जमील मसूरी

चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण त्यौहार है चुनाव का नाम सुनते ही प्रशासनिक अमला अलर्ट हो जाता है और प्रत्येक काम में लेट लतीफी से बदनाम प्रशासनिक मशीनरी चुनाव के नाम पर अलर्ट हो जाती है। तथा सरकारी कार्यालय में चुनाव के नाम पर कोई भी कार्य र्दुरत गति से होता है। सरकार के सभी विभागों द्वारा जारी पतो पर चुनाव तत्काल लिखा रहता हे और सरकारी कार्यालय में फाइलें तेजी से दौड़ती रहती है। यही नहीं सरकारी कार्यालय में चपरासी से लेकर अधिकारी तक सभी अलर्ट मोड पर रहते है। इसको देखकर आम जनता ये सोचती है कि, चुनाव तत्काल में सरकारी कार्यालयो में इतना जल्दी काम होता है तो आम दिनों में क्यों नहीं होता है...?

आचार संहिता

चुनावी घोषणा के साथ ही एक शब्द सबसे ज्यादा प्रचलित है आचार संहिता यह आचार संहिता क्या है..? किसी व्यक्ति, दल या संगठन के लिए निर्धारित सामाजिक व्यवहार, नियम एवं उत्तरदायित्व के समूह को आचार संहिता कहते हैं। भारतीय संविधान में लोकतंत्र के स्वतंत्र और निष्पक्ष व भयरहित चुनाव के लिए राजनीतिक दलों, सरकारी कर्मचारी व आम जनता के लिए कुछ नियम बनाए है इनको आचार संहिता कहा जाता है। और ये आचार संहिता चुनावी घोषणा के साथ ही लागू हो गई है। इस आचार संहिता के मुख्य बिन्दु है चुनाव आचार संहिता की अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता है। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी योजनाएं, लोकापर्ण,

शिलान्यास या भूमि पूजन भी नहीं कर सकते हैं। यदि कोई राजनीतिक पार्टी चुनावी रैली या जुलूस निकालना चाहती है तो उसे प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। प्रशासन कुछ शर्तों के साथ अनुमति जारी करता है। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी व्यक्ति के निजी जमीन पर या घर कार्यालय की दीवार पर बिना उसकी अनुमति के बैनर पोस्टर या झंडा नहीं लगा सकता है। राजनीतिक दल मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी की सुविधा भी नहीं दे सकते हैं। राजनीतिक दल किसी भी मतदाता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए डरा या धमका नहीं सकते हैं।

यही नहीं आचार संहिता के दौरान सभी प्रशासनिक गतिविधियों निर्वाचन आयोग के अधीन आ जाती है। आचार संहिता चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हटाई जाती है।

आचार संहिता का आम नागरिक पर प्रभाव

आचार संहिता के दौरान आम नागरिक पर सीधा असर नहीं होता है लेकिन नए शासकीय कार्य नहीं होते हैं लेकिन पुराने चलते रहते हैं। तमाम सरकारी कार्यालय निर्धारित समय पर खुले रहते हैं। प्रत्येक मंगलवार को जिला स्तर पर होने वाली जनसुनवाई स्थगित कर दी जाती है। पूरा प्रशासनीय अमला चुनावी मोड पर अलर्ट रहता है। आचार संहिता लगने का मूल उद्देश्य आम मतदाता भय रहित होकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में अपनी भागीदारी निभाए। कुल मिलाकर आचार्य संहिता के दौरान निर्वाचन आयोग को वे सारी शक्तियां प्राप्त है जो क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर को प्राप्त है। जिस प्रकार अंपायर तटस्थ होकर मैच का संचालन करता है उसी प्रकार निर्वाचन आयोग तटस्थ रहकर सारी चुनावी प्रक्रिया का संचालन करता है।

साहब का मान-मान है पर साहब के सामने किसी गरीब या किसान का कोई मान नहीं

अपने पदीय अधिकार का दुरुपयोग कर किसी का अपमान करना कहां तक न्याय संगत...?

माही की गूंज, झाबुआ/खवासा

भारतीय संविधान में चपरासी से लेकर कलेक्टर तक सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को लोक सेवक कहा गया है, यानी जनता का सेवक। यही नहीं सरकार के विभिन्न पदों पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी अपने आप को जनता का सेवक ही कहते हैं और जब ये सेवक जनता के हितों पर कुठारघात करते हैं या उनके अधिकारों का हनन करते हैं तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ (पत्रकारिता) अपने दायित्व का निर्वहन करता है, यही नहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सजक पहरी भी कहा गया है। जब आम जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है तो उसके पास दो रास्ते है एक कोर्ट का है तो दूसरा इस सजग प्रहरी के माध्यम से अपनी आवाज को उच्च स्तर पर पहुंचाना। पहला रास्ता कठिन है तथा अपेक्षाकृत महंगा जबकि दूसरा रास्ता सहज व सरल है ऐसे में अधिकांश मामलों में लोग मीडिया का ही सहारा लेते हैं।

कुछ ऐसा ही मामला खवासा क्षेत्र का है जिसको जिले के प्रमुख साप्ताहिक समाचार पत्र ÷माही की गूंज÷ ने 24 अगस्त व 5 अक्टुम्बर को प्रमुखता से उठाया तो खवासा क्षेत्र के नायब तहसीलदार साहब पलकेश परमार तिलमिला उठे और उन्होंने माही की गूंज की गूंज के विरुद्ध ही मोर्चा खोल दिया।

माही की गूंज की न तो किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी हे और न ही किसी से दोस्ती लेकिन इतना अवश्य है कि अन्याय व अनीति के विरुद्ध यह कलम न झुकेगी न थकेगी और न ही थमेगी।

हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करें सुभाय।

आलोचना को खुले दिल से स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि आलोचना करने वाला ही हमारा हितेषी होता है। जनहित के मुद्दे पर नायब तहसीलदार महोदय को कुछ बुरा लगा हो तो उनके लिए भी न्यायालय के दरवाजे खुले हैं... लेकिन पदीय अधिकारो का दुरूपयोग कर द्धेषपुर्ण कार्यवाही करना या करवाना किसी भी स्थिति में न्याय संगत नही है।

वही किसी भी व्यक्ति को चाहे वह किताबी ज्ञान के साथ वह किसी भी बड़े पद पर आसीन हो तो उसे उतने ही ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान का भी होना आवश्यक है। अगर अपनी शिक्षा के साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर आसीन हो जाए और उसमें व्यवहारिक ज्ञान न होकर अपने पद का गुरूर दिखाकर अपने नाम के आगे मै, लगाकर अहम रूपी कार्य शैली के साथ कोई कार्य करता है तो ऐसे में यही कहावत चरितार्थ होती है कि, साहब भणिया पर गणिया नी।

हमारी कोई भी सरकार रही हो उनका ध्येय एक ही रहा है कि, कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकारी के कार्यालय में अपनी गुहार लेकर जाए तो उनकी पूरी बात शालीनता से सुनी जाए और उनका पूरा सम्मान किया जाए। जिसके बाद अपनी संवैधानिक प्रक्रिया में जो भी सही हो वह अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। खासकर सरकारों की अहम योजनाएं गरीब पीड़ित एवं किसानों के हित में बनाई गई है और हमारा कानून भी इन्हें हक दिलाने के लिए तत्पर है। किसी भी व्यक्ति या पदाधिकारी को कानून का मखौल उड़ाने, अपने पद का दुरुपयोग करने व अपने पद का दुरुपयोग कर भय युक्त वातावरण बनाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति का मान व सम्मान उसके व्यवहारिक ज्ञान के साथ की जा रही कार्य शैली के आधार पर ही मिलता है। यदि कोई अधिकारी अपने व्यवहारिक ज्ञान को भुलकर सामने वाले को अपमानित करता है तो उसे भी सम्मान मिलना मुश्किल है।

माही की गूंज में 5 अक्टूबर को सीएम हेल्पलाइन समाधान की नहीं बल्कि पीड़ितों के लिए और ज्यादा पीड़ादायीं बन चुकी यह योजना÷ नायब तहसीलदार अपने आप को स्वयं हड़किये... जैसा कर रहा प्रचलित...? शीर्षक के साथ

प्रकाशित समाचार की बात करें तो, उक्त समाचार प्रकाशित होने के बाद नायब साहब संवैधानिक व्यवस्था को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और समाचार प्रकाशित दिनांक 5 अक्टूबर को नायाब साहब की कचहरी में जमीन के नक्शा त्रुटि का सुधार कर उसके हक की जमीन उसे जो भी हो वह दी जाए का प्रकरण साहब की कचहरी में चल रहा है। जिसकी साहब द्वारा दी गई पेशी पर करीब 12 बजे पवन पाटीदार तालुका कचहरी खवासा में पहुंचा। समाचार प्रकाशित होने पर साहब तिलमिला उठे ऐसा हुआ कि, साहब ने पवन पाटीदार को माही की गूंज का ऑपरेटर मानकर 2 से 3 घटे तक खडा रख अपनी कचहरी में ही कई तरह की धोस-धमकी दी कि, उक्त समाचार तूने क्यों प्रकाशित करवाया। पवन पाटीदार ने कहा, साहब समाचार में नहीं प्रकाशित करता हूं ना ही मैं समाचार लिखता हूं माही की गूंज समाचार पत्र में समस्त आने वाले समाचारों का संकलन प्रधान संपादक द्वारा ही किया जाता है। हां, यह सही है कि, आपकी कचहरी में चल रहे प्रकरण के दौरान आपके द्वारा जिन शब्दों से हमें कहा गया वह बात सीएम हेल्पलाइन से लेकर सभी मेरे पापा द्वारा प्रधान संपादक को बताई गई। लेकिन साहब की हकीकत प्रकाशित होने के बाद अपना ईगो सैटिस्फाइट करने के लिए पवन पाटीदार को कई तरह से तहसील कार्यालय में धमकाने का प्रयास किया गया। फिर भी साहब संतुष्ट नहीं हुई तो पवन पाटीदार को बिना किसी अपराध के ही कोटवार को निर्देशित कर पवन पाटीदार को कोटवार की बाईक पर बिठाया और पीछे-पीछे नायब साहब चौकी पर पवन के विरुद्ध अपराध दर्ज करने हेतु ले गए। चूंकि चौकी पर करीब 3 घंटे से अधिक पवन पाटीदार को बिठा रखा। वहीं नारायण पाटीदार के खेत की सीमा को लेकर चल रहे मामूली विवाद व प्रकरण में विपक्षी को अपना मोहरा बनाकर मुकेश पाटीदार को कहकर उसकी मां दुर्गा देवी पाटीदार से लिखा हुआ गाली-गलौच संबंधी एक आवेदन स्वयं ने चौकी प्रभारी की अनुपस्थिति में प्राप्त किया।

वहीं मामले की जानकारी माही की गूंज कार्यालय से थांदला एसडीएम तरुण जैन को दी गई कि, बिना अपराध के भी नायब साहब द्वारा पवन पाटीदार के विरुद्ध अपराध दर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके बाद नायब साहब पुलिस चौकी से रवाना हुए और स्थानीय पुलिस स्टाफको आज के दिन के लिए पवन को छोड़ने के निर्देश दिए। जिसके बाद पुलिस ने पवन को छोड़ा। लेकिन साहब ने अपने ईगो को सेटिस्फाईट करने के लिए हर वो काम किया जो विधि सम्मत भी नहीं है। तहसील कार्यालय में पवन को धमकाना और बिना किसी अपराध के अपराधी की तरह चौकी में 3 घंटे से अधिक बिठा रखा।

सीएम हेल्पलाईन में शिकायत की है तो वह सबकुछ करेगे मैं अलग हूँ और सीएम हेल्पलाईन अलग है- नायब साहब। सुने क्युआर कोई स्केन कर।

साहब का यहा भी इगो सटिंफाइड नहीं हुआ तो षंडयंत्र बनाकर 6 अक्टूबर को नारायण व पवन पाटीदार दोनों बाप-बेटे को धारा 151 की प्रतिधात्मक कार्यवाही करते हुए एसडीएम कार्यालय थांदला में पेश किया। चौकी प्रभारी रज्जत सिंह गणावा से बात हुई तो कहा, कस्बाई व्यवस्था में शांति बनाए रखने हेतु उक्त कार्रवाई की गई है और आज दिनांक ही एसडीएम कार्यालय से जमानत हो जाएगी। लेकिन हमारे द्वारा अंदाजा लगाकर स्पष्ट कहा गया कि, नायब साहब के प्रयास से आज किसी भी स्थिति में जमानत नहीं होकर जेल पहुंचा दिया जाएगा और हुआ भी वही। खैर, एसडीएम साहब का अपना अधिकार है कि, वे अपनी पदीय कार्य के दौरान किसी की जमानत ले, न ले, यह एसडीएम का अपना अधिकार है। वहीं बताया जा रहा है कि, दुर्गा देवी पाटीदार का आवेदन, पवन व नारायण पाटीदार के विरुद्ध नायब साहब द्वारा दुर्गा देवी के पुत्र मुकेश पाटीदार से प्राप्त किया था। जिसमें भी विभिन्न धाराओं में दोनों बाप-बेटों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है बताया जा रहा है। वही जब एक जवाब देही के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्थाएं बनी रहे के उद्देश्य के साथ छोटे से आपसी विवाद को किसी अधिकारी के बहकावे में ना आकर, दी गई झूठी रिपोर्ट लेने की प्रतिनिधी ने समझाईस मुकेश पाटीदार को छोटे भाई की तरह दी। जिस पर मुकेश ने आश्वस्त किया कि, मैं घर पर जाकर बताता हूं। जिसके बाद जानकारी में आया कि, मुकेश पाटीदार ने हमारे खिलाफभी नायब साहब के इशारों पर झूठी शिकायत आवेदन, घर पर बुलाकर धमकाने संबंधी दिया। नायब साहब द्वारा अपने इगो को सेटिस्फाईट करने के लिए इस तरह की द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कहां तक नीति संगत है...? हमें न्यायालय में उक्त बातों के लिए कोई साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नहीं है। साहब अगर हमारी लिखी बात को गलत साबित करना चाहते हैं तो साहब ने ही खुद जो साक्ष्य छोड़े है। जैसे- तहसील कार्यालय से लेकर पुलिस चौकी तक या एसडीएम कार्यालय में लगे सीसीटीवी की फुटेज के साथ तमाम अपने अधीनस्थ व वरिष्ठ अधिकारियों व विपक्षीगण से हुई उक्त संबंध में टेलीफोन चर्चाओं का लेखा जो स्वतः ही एक प्रूफहै, पेश करेंगे तो साहब की द्वेषपूर्ण भावना स्पष्ट जाहिर होकर साहब की बचकानी हरकत सामने आ जाएगी। खैर, साहब की उक्त बचकानी हरकतों से किसी और को नहीं बल्कि स्यवं की प्रतिष्ठा को कम कर रही है और स्पष्ट हो रहा है कि साहब आप का मान, मान है और किसी गरिब या किसान का कोई मान नही है।

किसी भी व्यक्ति की कार्य शैली के आधार पर आम जनता ही देती है उपाधि यां संज्ञा न की कोई पत्रकार

रही बात किसी भी मीडिया संस्थान की तो, वह किसी को कोई उपाधि या संज्ञा नहीं देते है। बल्कि किसी की भी कार्यशैली के आधार पर आम जनता ही उस व्यक्ति को उपाधि या संज्ञा देता है और आमजनता द्वारा दी जाने वाली प्रचलित संज्ञा के नाम से पत्रकार उसे प्रकाशन करता है। जैसे- शिवराज चौहान को (घोषणा वीर) कमलनाथ को (कलंकनाथ) योगी आदित्यनाथ को (बुलडोजर बाबा) ज्योतिरादित्यसिंधिया को (गद्धार) आदि यह उपाधि आम जनता और राजनितिक विरोधियो के द्वारा ही दी गई है। जिसे समाचार संकलन के दौरान कई बार प्रकाशित किया जाता है। इसी प्रकार स्वयं नायब साहब की बोलने वाली कार्यशैली को आम जनता ने ही जो संज्ञा या उपाधि दी है उसे माही की गूंज में प्रकाशित किया गया है ना कि, हमारे द्वारा ऐसा कहा गया कि, आपकी शैली इस तरह की है। तय है आपने किसी भी तरह से जो गलती की है वह आम जनता द्वारा अखबार में प्रकाशित समाचार से आत्मसात कर किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करते तो तय है आपका मान बढ़ता। यहां हम यही कहेंगे कि, आपका गुस्सा लाजमी है और गुस्सा आना भी चाहिए, लेकिन जब आपकी कार्य शैली से पदीय गरिमा को कम करने के साथ आम जनता को आपके द्वारा कही गई शब्दावली से कितना बुरा लगा होगा और उनको गुस्सा भी कितना आया होगा यह अब स्वतः आप भी समझ चुके होंगें। लेकिन वे बेचारी आम जनता है जो कार्यपालिका से अपमानित या असहाय होती है तो मीडिया से ही अपनी गुहार लगाती है और मीडिया अपने दायित्व का निर्वाह करती है और माही की गूंज ने भी अपनी कलम को जनता के हक में अपना निर्वाह किया है।

कलम किसी टाइटल की मोहताज नहीं रहती यह तो अनवरत जीवित रहती है

हम उस कलम के धनी यशवंत घोडावत के चेले हैं, जिनकी कलम को कोई दबा नहीं सका, खरीद नहीं सका तो टाइटल तक खरीद लिए गए और 25 से अधिक अखबार चलाकर छोड़ दिए। आज खरीदे गए वो अखबार भी अपनी जमीनी मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहे है लेकिन यशवंत घोड़ावत की कलम आज भी धरातल पर अनवरत जीवित है। घोड़ावत जी की कलम को खरीदने व दबाने वाले कई माफिया वह भृष्टो को एक समय के साथ धूल ही चाटनी पड़ी थी। हमें जरूर हमारे गुरु ने यह बताया कि, हम आमजन के हक में भ्रष्टो, माफियाओ के विरुद्ध बेबाकी से अपनी कलम का निर्वाह करें और सत्य को कितना भी परेशान करने का प्रयास करेगा लेकिन सत्य परेशान हो जाएगा लेकिन पराजित नहीं। यानी साहब हम तो सिर्फवही प्रकाशन करते हैं जिसकी वास्तविक शिकायतें आती है आपकी विचित्र कार्य शैली खवासा क्षेत्र ही नहीं बल्कि कुछ समय सारंगी में रहने के साथ ही सामने आई। जहां भी आपकी शिकायतों के बाद आपको कुछ समय में ही वहां से तबादला कर दिया गया। आप विधि सम्मत व व्यावहारिक ज्ञान व शलिनता के साथ लोगों से पेश आएंगे तो तय हैं आपका मान बढ़ेगा। अगर व्यवहारिक ज्ञान की सीख लेना हो तो आपके वरिष्ठ अधिकारी एसडीएम तरुण जैन साहब से भी ले सकते हैं। जिनमें किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान है और क्षेत्र में अपनी पदीय गरिमा को अपने व्यवहारिक ज्ञान के साथ बनाए रखते हैं और क्षेत्र में उनके कार्य शैली की सराहना भी करते हैं और हम भी इनकी व्यवहारिकता का दिल से सम्मान करते है।ं वही तहसीलदार अनिल बघेल के संबंध में भी यही कहेंगे कि, उनकी गलतियां सामने आने पर उन्होंने उन गलतियों को आत्मसात किया है और वह अपने दायित्व का निर्वहन बखुबी से कर रहे हैं जिन्हें भी आप चाहे तो अपने आदर्श के रूप में ले सकते हैं।

शिकायत के बाद शौचालय का भ्रष्टाचार की जांच करने पहुंची टीम

माही की गूंज खवासा

क्षेत्र की नाहरपुरा ग्राम पंचायत ने 1 दिसंबर 2021 को सामुदायिक स्वच्छता परिसर की नींव स्तर का कार्य वह भी कार्य निम्न स्तर का होकर पंचायत द्वारा जीस ठेकेदार को निर्माण कार्य करने हेतु दिया गया। उसी ठेकेदार के नाम से विभिन्न सामग्री का फर्जी बिल लगाकर 1 लाख 3 हजार 5 सौ रूपये आहरण कर लिए। जिसकी शिकायत कलेक्टर की जनसुनवाई में 23 अगस्त 2023 को नाहरपुरा का युवा एवं

शौचालय की नींव ही भ्रष्टो ने भ्रष्ट कार्य कर अधूरे कार्य के साथ की राशि आहरण

31 अगस्त को प्रकाशित समाचार।

जयस जिला आईटी सेल प्रभारी दिनेश कटारा ने शिकायत की थी। जिसका 31 अगस्त को माही की गूंज में ÷शौचालय की नींव ही भृष्टो ने भ्रष्ट कार्य कर अधूरे कार्य के साथ ही राशि आहरण कर ली' शीर्षक के साथ समाचार प्रकाशित किया था। शिकायती आवेदन एवं गूंज में प्रकाशित समाचार के एक माह बाद जिला

जांच करने पहुंची टीम, मौके पर ठेकेदार भी पहुंचा।

पंचायत झाबुआ के सीईओ के आदेश के परिपालन में 6 अक्टूबर को स्वच्छता भारत मिशन के जिला समन्वयक भगतसिंह चौहान व थांदला जनपद समन्वयक ज्योति भाभर 6 अक्टूबर गुरुवार को उक्त अधूरे एवं भ्रष्ट कार्यो का मौका मुआयना करने पहुंचे। जिन्होंने सचिव भूरालाल झोड़ियां की उपस्थिति में मौका पंचनामा बनाया। जिसमें खुलासा किया कि, सामुदायिक स्वच्छता परिसर में नींव खुदाई की जाकर नींव की दीवार नींव स्तर तक बना दी गई तथा नींव भराई का कार्य अभी मौके पर शेष है। इस संबंध में शिकायतकर्ता दिनेश कटारा ने बताया कि, उक्त मौका मुआयना के दौरान ठेकेदार के पिता को भी मौके पर बुलाया गया ।वहीं ठेकेदार के पिता व सचिव के बीच ग्रामीणों के सामने ही कहा सुनी होने लगी और ठेकेदार कहने लगा राशि आहरण करके देंगे तो मैं आगे काम शुरू करू। वही सचिव कहते नजर आए की जितनी राशि आहरण की है पहले उतना पूरा कार्य करो उसके बाद दूसरी राशि आहरण करेंगे के साथ कहां सनी करते रहे। वही शिकायत के बाद दिनेश कटारा ने बताया, मजदूरों के पेमेंट के रूप में 8 हजार 2 सौ 4 रूपये के साथ कुल 1 लाख 89 हजार 7 सौ 4 रुपये आहरण होकर निम्न स्तर का कार्य होकर सिर्फनींव व नींव स्तर की दीवाल बनाकर कार्य की इतिश्री कर दी गई।

जयस महापंचायत हुई आयोजित

माही की गूंज,थांदला।

जयस ने मंगलवार को नगर के दशहरा मैदान पर महापंचायत आयोजित हुई। जयस ने महापंचायत के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशीश की। लेकिन अपेक्षाकृत सफलता नही मिल सकी। विधानसभा चुनावो का आगाज होने के बाद जयस की पहली महापंचायत थी जिसमे ओद्योगिक क्षेत्र निवेश से जमीनो को बचाना, जल-जगल, जमीन का सरंक्षण करना, पैसा कानून के क्रियान्वयन व उसमे निहित अधिकारो के बारे मे लोगो को जागरूक करना। पलायन जैसी समस्या का समाधान जैसे गंभीर मुद्दो पर महापंचायत का

आव्हान किया गया था। सभा मे जयस के वक्ताओ ने संगठन को सामाजिक स्तर से आगे बढकर राजनैतिक क्षेत्र मे उतरने की बात पर जोर देते हुए कहा कि, कांग्रेस और भाजपा वर्षो से आदिवासी समाज का शौषण कर रही है, इसलिये हमे अपना नेतृत्व स्वंय चुनना होगा। हमे क्षेत्र मे शिक्षा व रोजगार को सुदृढ करने के लिये कार्य करना होगा। महापंचायत को जयस प्रत्याशी माजु डामोर, डॉ कमल डामोर, अनुराग खडिया, रमेश कटारा, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल डामोर, भारत आदिवासी पाटी के अध्यक्ष ईश्वर गरवाल ने संबोधित किया। संचालन दीपेन्द्र गरवाल व आभार बलवेद्र वसुनिया ने व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि, जयस ने विधानसभा चुनाव मे जिले मे अपने प्रत्याशी को उतारने का निणर्य लिया है। जयस के चुनाव मैदान मे आने से विधासनभा चुनाव रोचक होने की संभावना है।

आए दिन केबल फाल्ट होने की हो रही समस्या

ट्रांसफॉर्म के समीप से केबल में लगी आग पूरी रात रही लाइट बंद

माही की गूंज, भामल

जैसे ही सिंचाई के लिए विद्युत की मांग बड़ी वैसे ही ग्रामीण अंचलों में 24 घंटे सप्लाई होने वाली लाइन में भी समस्या उत्पन्न हो गई है। जिसके कारण आए दिन केबल फॉल्ट के साथ अन्य समस्या से ग्रामीणों को दो-चार होना पड़ रहा है।प्राप्त जानकारी के अनुसार खवासा के समीप भामल में मंगलवार रात्रि में साढ़े 7 बजे के करिब मेंन लाइन की केबल स्पार्किंग होने के कारण जल गई।जिसके कारण कई गांव में उपकरण तो जले ही साथ मे पूरी रात लाइन बंद रही। ग्रामीणों ने इसकी सूचना लाइनमैन को भी दी वह भी मौके पर पहुंचे। अधिक लंबी केबल जलने के कारण रात्रि में वह सही भी नहीं कर पाए, जिसके कारण ग्रामीणों को रात्रि में काफी परेशान होना पड़ा। बताते हैं कुछ साल पहले ग्राम भामल में पूर्व में पदस्थ जूनियर इंजीनियर निशांत यादव के सानिध्य में घटिया केबल ठेकेदार के मार्फत से कार्य करवाया गया था।जिससे ठेकेदार ने केबल का कार्य किया था उसमें निम्न व घटिया केबल लगाने के कारण ग्रामीणों को आज समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। तो वही वर्तमान में पदस्थ जूनियर इंजीनियर ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। जब से भामल में केबल सिस्टम शुरू हुआ है तब से ग्रामीणों को 3 साल से समस्या हो रही है। मामले में जिले के अधिकारियों तक को भी सूचना दी जाती है लेकिन कहते हैं थोड़े दिन की समस्या है वापस वोल्टेज की समस्या सही हो जाएगी कहकर उपभोक्ताओं को संतुष्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन समस्या का निदान करने में कोई भी अधिकारी तैयार नहीं होता है। जिसके कारण ग्रामीणों को समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। ग्रामीण धनसिंह राठौड़, कमल चावड़ा, राजेंद्र नकुम, भारत जादव, दशरथ राठौर, रघुनाथ खेर, एवं विक्रम राठौर आदि ने बताया कि, आए दिन हमारे घर के समीप केबल फॉल्ट होती है, जिसके कारण हमें नुकसान भी होता है लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यह तो गनीमत रही कि मंगलवार रात्रि में कोई आमजन उस केबल के खम्बे के समीप खड़ा नहीं था, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी क्योंकि पटाखे की तरह केबल धड़ाधड़ जलती हुई नीचे गिरी जिसके कारण कोई जनहानि भी हो सकती थी। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को सब पता होने के बाद इस तरफक्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं यह वही जाने , लेकिन आज तो हमें पूरी रात अंधेरे में गुजारनी पड़ी। जानकारी के अनुसार खवासा के एमपीइबी के अधीन आने वाले रंत्री फिटर के ग्राम भामल में आए दिन विद्युत व्यवस्था सही नहीं होने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों से गुजरना पड़ता है। वही समाचार लिखे जाने तक गांव में लाइन चालू नहीं हो पाई थी।

मामले में झाबुआ के डीसी हरि डाबर से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। मामले में खवासा के जूनियर इंजीनियर मुकेश परमार से चर्चा की तो उनका कहना है कि, मेने रात्रि में ही मौके पर लाइनमैन को भेज दिया था लेकिन केबल अधिक जलने के कारण लाइन चालू नहीं हो पाई सुबह ही उसका सुधार हम करवा पाएंगे, और सुबह एमपीइबी की गाड़ी एवं अन्य कर्मचारी लाइन सुधारने के लिए पहुंच चुके थे।

ट्रांसफर वाली जानकारी में नाम इसकी टोपी उसके सर , जानकारी देने के नाम पर निर्वाचन विभाग में टकराव

एक ही पत्र को तीन बार भोपाल के निर्वाचन भवन ने किया इधर से उधर

क्या ट्रांसफर के नाम पर हुआ बड़ा खेल, ऐसे में केसे होंगा निष्पक्ष विधानसभा चुनाव, नियम विरुद्ध वर्षो से जमे हुए है अधिकारी

माही की गूंज, भोपाल/झाबुआ

मध्य प्रदेश में नवंबर के महीने में होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव समिति मध्य प्रदेश द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर लगभग पूरी तैयारीयां पूर्ण कर ली गई है। और केंद्रीय चुनाव समिति ने शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए एमपी सहित पांच राज्यों में 9 अक्टूबर को आचार संहिता का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल ने प्रदेश के 52 जिलों में 3 साल से अधिक समय से पदस्थ अधिकारी कर्मचारी जो राजनीतिक प्रभाव के चलते जमे हुए हैं, उनको हटाने को लेकर क्या कार्रवाई की है...? ऐसी कोई भी कार्रवाई सामने आती नहीं दिख रही है। भोपाल स्तर पर छुटपुट इसी महीने में कुछ ट्रांसफर तो हुए हैं। एमपी के जिलों में लंबे समय से जमे अधिकारियों को हटाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने के चलते आरटीआई मैं एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।

मामला आदिवासी बहुल झाबुआ जिले से जुड़ा

दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता श्रवण कुमार मालवीय द्वारा झाबुआ जिले में लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल से विषय 1 में 29 अगस्त को धारा 6 (1) मे मांगी थी। जिस संबंध में आरटीआई में पूछा गया था कि, विधानसभा निर्वाचन 2018 में जिला निर्वाचन अधिकारी झाबुआ द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग भोपाल को 3 वर्ष से अधिक जिले में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी की दी गई तबादला सूची की सत्यापित प्रति और वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर झाबुआ द्वारा दी गई। तबादला सूची की सत्यापित प्रति और राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा वर्ष 2018 और वर्ष 2023 में जारी की गई गाइडलाइन और समस्त जिलों को दिए गए आदेश की सत्यापित प्रति की मांग की गई थी। जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा मांगी गई जानकारी के आवेदन को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल को धारा 6(3) मे दिनांक 4 सितंबर को अंतरिम करते हुए कहा गया था कि, स्थानांतरण संबंधित जानकारी

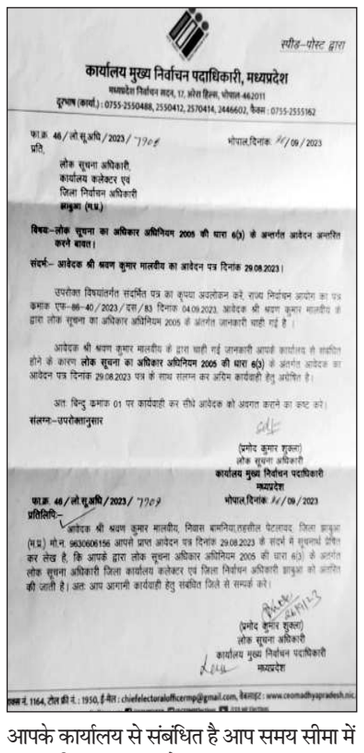

आपके कार्यालय से संबंधित है आप समय सीमा में जानकारी उपलब्ध करावे।

निर्वाचन आयोग का पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लौटाया, कहा आप से है संबंधित जानकारी

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल को 4 सितंबर को भेजे गए पत्र का जवाब देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल ने 26 सितंबर को निर्वाचन आयोग को आदेश दिए गए की जो आवेदन आपके द्वारा अंतरिम किया गया है। वह आपके कार्यालय से ही संबंधित है। आप बिंदु क्रमांक 2 की जानकारी उपलब्ध करावे और धारा 6(3) में स्थानांतरण के आवेदन को फिर से निर्वाचन आयोग को भेजा गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल द्वारा इसी दिनांक में जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर झाबुआ को भी

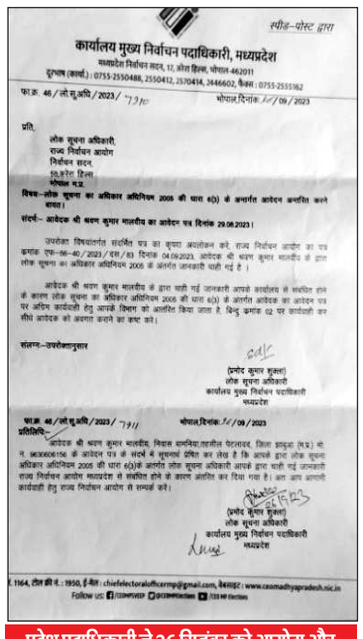

प्रदेश पदाधिकारी ने 26 सितंबर को आयोग और जिला कलेक्टर को पत्र लिख जानकारी उनके संबंधी बताकर जानकारी देने हेतु लिखा पत्र।

बिंदु क्रमांक 1 की जानकारी देने के संबंध में आदेश जारी किए गए।

निर्वाचन विभाग में जानकारी के लिए टकराव जैसी स्थिति

सूचना के अधिकार 2005 के कानून का लोकतंत्र के मंदिर में किस तरीके से पालन हो रहा है। यह स्थिति भोपाल स्तर पर लिखित रूप से देखने को मिल रही है। जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल ने 26 सितंबर को भेजे गए पत्र का जवाब देते हुए मुख्य निर्वाचन आयोग को कहा था कि, बिंदु क्रमांक 2 की जानकारी आपसे संबंध रखती है। लेकिन आचार संहिता लगने से 4 दिन पहले 5 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग भोपाल ने स्पष्ट तौर पर पत्र जारी कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को कहा कि, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और

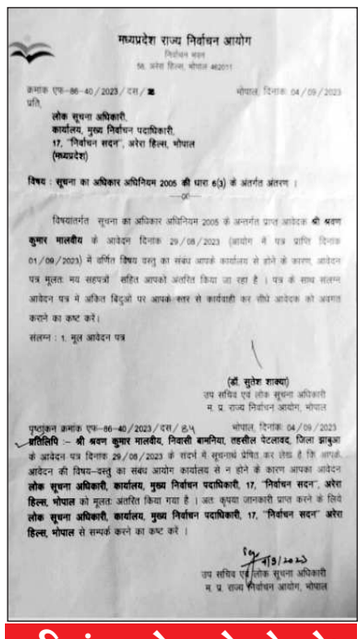

4 सितंबर को आयोग ने प्रदेश पदाधिकारी को पत्र लिखा।

नगरीय क्षेत्रों के चुनाव देखता है न की विधानसभा, लोकसभा चुनाव। इसलिए आप विधानसभा में हुए ट्रांसफर से संबंधित जानकारी उपलब्ध करावे। इसी के साथ तीसरी बार आरटीआई के पत्र को अंतरिम कर दिया गया।

वर्षों से एक ही जिले मे पदस्थ अधिकारी कर्मचारी के कारण चुनाव होंगे प्रभावित

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय निर्वाचन आयोग दिल्ली के आदेश और राज्य निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सामान्य प्रक्रिया के तहत 3 साल से अधिक एक ही जिले में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों को हटाना होता है। यह सामान्य प्रक्रिया है जो लोकसभा, विधानसभा चुनाव के पहले से होती चली आ रही है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा

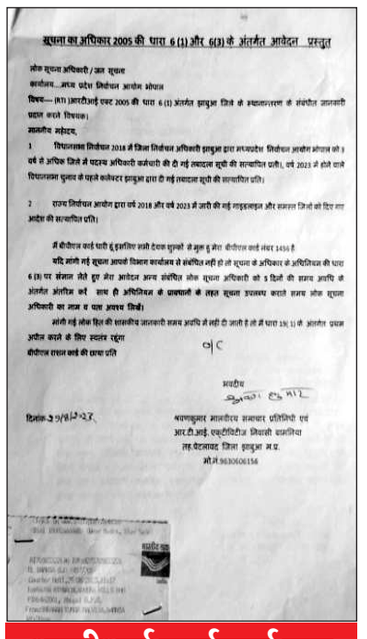

आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी।

स्थानांतरण आदेशों को ताक में रखकर सूचना के अधिकार के रूप में मांगी गई जानकारी के आवेदन को इधर से उधर एक नहीं तीन बार घुमाया गया। जो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है। जिले में कई ऐसे अधिकारी है जो वर्षो से एक ही जगह जमे हुए है। पेटलावद विधानसभा में कुछ ऐसे अधिकारी भी है जो स्थानीय स्तर पर यही के निवासी भी है इसके बाद भी निर्वाचन के नियमो के विपरीत यही जमे हुए है।

2018 में हुआ था निर्वाचन राशि में भ्रष्टाचार

तत्कालीन वर्ष 2018 में राज्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर झाबुआ को निर्वाचन स्थल पोलिंग बूथ के लिए करोड़ों रुपए की राशि जारी की गई थी। जिसमें लाइट, टेंट, बिजली, पानी

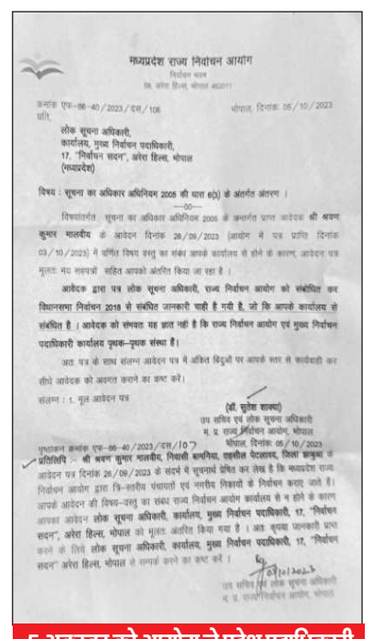

5 अक्टूबर को आयोग ने प्रदेश पदाधिकारी को पत्र लिखकर मय कारणों सहित जानकारी देने को कहा।

,भोजन, चाय-नाश्ता आदि सामग्री और सुविधाओं के लिए राशि दी गई थी। लेकिन सारा खर्च नगर परिषद् झाबुआ, राणापुर, मेघनगर, थांदला, पेटलावद और जिले की 377 ग्राम पंचायत द्वारा खर्च वहन किया गया था। जिसकी शिकायत भी राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को सारे एविडेंस के साथ की गई थी। किंतु राज्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला कलेक्टर की मिली भगत से कलेक्टर आशीष सक्सेना की जांच तत्कालीन कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा खुद जांच अधिकारी ने बंद कर दी गई थी, ना कोई जांच बिठाई ना ही जांच करने के लिए कमेटी बनी और न ही नगर परिषदों, पंचायत के कथन लिए गए। सबसे बड़ी बाद उक्त जांच प्रतिवेदन में किस दिनांक को जांच हुई है उसका भी हवाला तक प्रतिवेदन में नहीं है।

आदर्श आचार संहिता लगने के बाद राजस्व व पुलिस अमला हुआ सक्रिय

भगवा ध्वज उतारने पर युवा आक्रोशित, सोषल मिडीया पर छिड़ी बहस

माही की गूंज सारंगी, संजय उपाध्याय

सारंगी क्षेत्र में मंगलवार को पेटलावद तहसीलदार ओर टीआई ने सारंगी का दोरा किया ओर सार्वजनिक स्थानों व शासकीय इमारतों पर लगे बेनर पोस्टर व ध्वज लगें हुए थे उनको उतरवाए। इस दौरान भगवा ध्वज जो सार्वजनिक स्थानों पर लगें थें को भी हटाया गया। इस बात पर स्थानीय युवाओं में आक्रोश देखने को मिला और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विरोध दर्ज करवा रहे थे। मामले की जानकारी पेटलावद तहसीलदार होकम सिंह निगवाल से चर्चा की तो तहसीलदार निगवाल ने बताया कि, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थानों पर लगें बेनर, पोस्टर और साथ ही जो भगवा ध्वज लगें थें को भी उतारा गया है। जो भी अपने निजी घर या दुकान पर लगाना चाहते हैं वो एसडीएम कार्यालय से परमीशन लेकर लगा सकते, ओर निजी घर या दुकान पर लगे भगवा ध्वज हमने नहीं उतारे हैं।

विधानसभा निर्वाचन की गतिविधियों की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में आदेश जारी

माही की गूंज, झाबुआ

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला झाबुआ के निर्देशानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 की गतिविधियों की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला झाबुआ के सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिबंधात्मक निर्देश लागू किये गए है। जिसमे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक ही समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति समूह, संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार आग्नेयशास्त्र, हॉकी, दंडा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग या प्रदर्शन नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव में हवाई फायर वर्जित रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, संस्था, समूह या अन्य कोई भी धरना, जुलूस, प्रदर्शन सभा या रैली आदि एवं एसिड, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नही रखेगा एवं उपयोग नहीं करेगा।

अधिकारी की अनुमति के बिना टेंट, पांडाल आदि का स्थायी या अस्थायी निर्माण नहीं किया जाएगा। मतदान की तिथी पर मतदान केन्द्र में एवं मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर एवं इन स्थानों की निर्धारित परिधि में सेल्युलर फोन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और न ही कोई व्यक्ति सेल्युलर फोन रख सकेगा। किसी भी कार्यक्रम सभा, आम सभा आदि की अनुमति के लिए सम्पूर्ण जिला सम्मिलित होने की स्तिथि में अपर जिला दंडाधिकारी झाबुआ एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

सुबह छाने लगा कोहरा... पत्तियों पर दिखाई देने लगी बूँदे

माही की गूंज भामल, नारायण पालरा

प्रदेश में मानसून के विदा होने के साथ अब मौसम बदल रहा है। गर्मियों के बाद अब रात भी सर्द होने लगी है। रात के समय हल्की ठंड का एहसास हो भी हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय ओस की बूंदे भी गिर रही है, तो वही सुबह के समय हल्का कोहरा भी छा रहा है। सुबह तड़के गिरने वाली ओस की बुँदे ओर पेड़ पौधों के फूल पत्तों पर छोटी-छोटी ओस पानी की बूंदे दिखाई देने लगी। बुधवार को सुबह 6 बजे का लिया हुआ फोटो जिसमें हल्का सा कोहरा व ओस की बुँदे दिखाई दे रही है।

मदिरा के अवैध संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय की रोकधाम के लिए उड़नदस्ता दल का किया गठन

माही की गूंज, झाबुआ

नोडल अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी जिला झाबुआ के आदेशानुसार आगामी विधानसभा 2023 चुनाव को द्रष्टिगत रखते हुए जिले में मदिरा के अवैध संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय की रोकधाम के लिए उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। इस दल में विकासखण्ड झाबुआ के लिए सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद डंडीर, विकासखण्ड थान्दला एवं मेघनगर के सहायक जिला आबकारी अधिकारी भूरालाल सिंगाड़ा एवं विकासखण्ड पेटलावद के सहायक जिला आबकारी अधिकारी गिलदार सिंह रावत को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। यह दल अपने-अपने वृत्त में शराब के अवैध संग्रहण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय की रोकथाम हेतु सघन गश्त दबिश एवं वाहन चैकिंग की कार्यवाही करेंगे।

पोलिटेक्निक कॉलेज व जिले के 981 मतदान केन्द्रों के भवनों को विधानसभा निर्वाचन एंव संपन्न होने तक किया अधिग्रहित

माही की गूंज, झाबुआ-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार झाबुआ जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 (क) के तहत शासकीय पोलिटेक्निक कॉलेज झाबुआ को विधानसभा निर्वाचन-2023 संपन्न होने तक के लिए अधिग्रहित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। वही भयमुक्त चुनाव करवाने के लिए जिले के चिन्हांकित मतदान केन्द्र (विधानसभा- 193 झाबुआ- 356, विधानसभा- 194 थांदला 304 एवं विधानसभा- 194 पेटलावद- 321) इस प्रकार कुल-981 मतदान केन्द्रों के भवनों को विधानसभा निर्वाचन-2023 संपन्न होने तक के लिए अधिग्रहित किया गया है।

जिला स्तर से जारी की जाने वाली अनुमतियो के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई

माही की गूंज, झाबुआ। अपर कलेक्टर जिला झाबुआ के आदेशानुसार झाबुआ जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने को दृष्टिगत रखते हुए राजनैतिक दलों के द्वारा हेलीकाप्टर लेंडिंग एवं टेकऑफ (उतरने एवं उड़ान भरने) एवं अन्य जिला स्तर से जारी की जाने वाली अनुमतियो के लिए स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से श्री सुशील शुक्ला सहायक ग्रेड-2 एवं जिला कार्यालय से श्रीमती किरण बरडे सहायक ग्रेड-3 की ड्यूटी लगाई गई है।

आदर्श आचार संहिता लगने के बाद राजस्थान की सीमा से सटे इलाकों में की जा रही है जांच पड़ताल

माही की गूंज खवासा, सुनिल सौलंकी

विधानसभा 2023 का आगाज हो चुका है और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिले से सटी अन्य राज्य की सीमाओं पर भी पुलिस प्रशासन का सख्त पहरा लग गया है। खवासा चौकी के अंतर्गत आने वाले परवाड़ा के भेरूपाड़ा के समीप लगी राजस्थान की सीमा पर भी पुलिस प्रशासन ने सख्त पहरा लगाकर आने-जाने वाले वाहनों की जांच पड़ताल करके एवं उनके नंबर नोट किये जा रहे हैं। खवासा चौकी प्रभारी रज्जतसिंह गणावा ने जानकारी देते हुए बताया है कि, आने-जाने वाले सब वाहनों की रजिस्टर में एंट्री होकर जाँच पड़ताल की जा रही है। मंगलवार शाम को थांदला अनुविभागीय अधिकारी तरुण जैन भी भेरुपाड़ा के समीप लगी राजस्थान सीमा पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया था। जिसमें उनके साथ थांदला एसडीओपी रविंद्र राठी, खवासा चौकी प्रभारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

संपादकीय

कई बीमारियों की जड़ है अनिद्रा

दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की एक शोध रिपोर्ट बताती है कि देश के करोड़ों लोगों को नींद न आने की बीमारी है। रिसर्च के अनुसार, करीब दस करोड़ लोग स्लीप एपनिया नामक बीमारी से ग्रस्त हैं। चिंता की बात यह कि कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में हैं। जिसका समय रहते इलाज न होने पर कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल, इस बीमारी में नींद के दौरान ठीक से सांस नहीं आने से व्यक्ति खर्राटे लेने लगता है। जिसकी वजह से बार-बार नींद टूटती है और व्यक्ति गहरी नींद से वंचित हो जाता है। विडंबना है कि, देश की ग्यारह फीसदी आबादी इस समस्या की चपेट में है। दरअसल, बीते दो दशक में छह शोधों के जरिये एम्स के चिकित्सकों ने ये आंकड़े जुटाए हैं। जो बताते हैं कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ये मामले ज्यादा पाये गये हैं। करीब पांच करोड़ लोगों में ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बीमारी के गंभीर लक्षण पाये गये हैं। जिसके चलते वे गहरी नींद के सुख से वंचित हैं। जाहिर है इससे उनके शरीर में ऊर्जा के स्तर में गिरावट आती है और उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। इतना ही नहीं, इस समस्या के कारण अन्य रोग बोनस के रूप में मिल रहे हैं, जिनमें हृदय से जुड़ी बीमारिया, मधुमेह व मोटापा भी शामिल हैं। दरअसल, रिसर्च जर्नल ऑफ स्लीप मेडिसन में प्रकाशित यह शोध हमारी चिंता बढ़ाने वाला है। जो बताता है कि महिलाओं व पुरुषों में मोटापा बढ़ने का एक कारण यह भी है। इतना ही नहीं, नींद पूरी न हो पाने के कारण कई लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जो मेटाबॉलिक डिजीज होने का कारक भी बनता है। विडंबना यह है कि बड़ी संख्या में लोगों को इस बात का अहसास भी नहीं होता है कि वे इस गंभीर समस्या से पीड़ित हैं और इसका इलाज भी किया जाना चाहिए। शोध रिपोर्ट में इस समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया गया है। यह भी रेखांकित करने की जरूरत है कि किन लोगों को इससे ज्यादा खतरा हो सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि आमतौर पर बुजुर्ग लोगों को ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बीमारी से ज्यादा खतरा होता है। वहीं मोटापे से पीड़ित लोगों में भी इस बीमारी का खतरा अधिक होता है। जिससे बचाव के लिये आवश्यक है कि इस बीमारी के लक्षण दिखने पर योग्य चिकित्सक से परामर्श किया जाए। चिकित्सक बताते हैं कि इस बीमारी के प्राथमिक लक्षणों में सांस लेने में परेशानी होना व रात में खर्राटे आना भी शामिल है। जिसकी अनदेखी कई अन्य बीमारियों को जन्म दे सकती है। ऐसा नहीं है कि यह समस्या केवल भारत तक सीमित है, पूरी दुनिया में इसके करोड़ों मामले प्रकाश में आ रहे हैं। जिसे चिकित्सक गंभीर चिकित्सकीय स्थिति मानते हैं। जिसमें सांस लेने में दिक्कत की वजह से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होती है। जो हमारी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। समस्या कालांतर उच्च रक्तचाप, हृदय विकार का कारक बनती है। आम तौर पर माना जाता है कि स्वस्थ मनुष्य के लिये एक दिन-रात में सात घंटे की नींद पर्याप्त होती है। जिसके पूरी न होने पर कहा जाता है कि व्यक्ति कच्ची नींद में उठ गया। इसके अलावा व्यक्ति की नींद में खलल पड़ने के मौजूदा कारणों में हमारे स्क्रीन टाइम का बढ़ना और लंबे समय तक सोशल मीडिया में फंसे रहना भी है। वहीं स्लीप डिसऑर्डर के तमाम कारण अन्य भी गिनाये जाते हैं। जिसकी वजह से कोई क्रॉनिक बीमारी न होने के बावजूद व्यक्ति की सोते-सोते सांसें थम जाती हैं। यही वजह है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिये साउंड स्लीप की वकालत की जाती है। जिसके लिये व्यक्ति को सोने से पहले बढ़ती प्रतियोगिता, आर्थिक चिंताओं व तनाव से मुक्त होने की सलाह दी जाती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य व ऊर्जावान शरीर के लिये गहरी नींद अनिवार्य ही है। गहरी नींद के लिये योग व प्राणायाम हमारी सांस की गुणवत्ता बढ़ाने में कारगर साबित होते हैं।

बदलते सामाजिक-आर्थिक स्तर की खनक

-प्रमोद जोशी

हैंगजाऊ एशियाई खेलों में भारत की सफलता को दो तरह से देखना चाहिए। कई प्रकार के रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने खेल की दुनिया में पहला बड़ा कदम रखा है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है पदक तालिका में 'सौ की मानसिक सीमा-रेखा' को पार करना। यह उपलब्धि देश के आकार को देखते हुए पर्याप्त नहीं है, पर पिछले प्रदर्शनों से इसकी तुलना करें, तो बहुत बड़ी है। यह भारत के विकसित होते बदलते सामाजिक-आर्थिक स्तर को भी रेखांकित कर रही है। उम्मीद है कि अगले साल पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी सफलता के एक और चरण को पार करेंगे।

कुछ खेल ऐसे भी हैं, जिनमें इस एशियाड में मनोनुकूल सफलता नहीं मिली। इनमें कुश्ती और भारोत्तोलन शामिल हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में हमने इन्हीं खेलों में बड़ी सफलता हासिल की थी। इसकी एक वजह यह भी है कि एशिया खेलों में कंपीटिशन ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ हमारे खिलाड़ी घुड़सवारी, ब्रिज, गोल्फ, शतरंज, वुशु और सेपक टकरा जैसे खेलों में भी मेडल जीतकर लाए हैं। फिर भी कम से कम दो खेल ऐसे हैं, जिनमें हमें विश्व स्तर को छूना है। एक है जलाशय से जुड़े खेल यानी एक्वेटिक्स और दूसरे जिम्नास्टिक्स। इन दोनों खेलों में मेडलों की भरमार होती है। खेल भी कई मायनों में सामाजिक दर्पण होते हैं। भारतीय महिला खिलाड़ियों की सफलता सामाजिक बदलाव को रेखांकित कर रही है। भारत को मिले 107 मेडलों में से 50 पुरुष वर्ग में, 47 महिला वर्ग में और 10 मिश्रित वर्ग को मिले हैं। यह हमारा सामाजिक सच भी है। बहरहाल जेवलिन थ्रो में अन्नू रानी ने गोल्ड मेडल जीतकर एशियाड के इतिहास में पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया है। वे खेतों में गन्ने फेंककर एथलीट बनी हैं। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता पर उनके साथ किशोर कुमार जेना ने न केवल सिल्वर जीता, बल्कि अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसका मतलब है कि भारत से जेवलिन में कुछ और नए चैंपियन सामने आने वाले हैं। तेजस्विन शंकर का डिकैथलन में सिल्वर मेडल उल्लेखनीय प्रदर्शन है। पर सबसे ज्यादा उल्लेखनीय हैं पारुल चौधरी के लगातार दो दिन में दो मेडल। इन सभी खिलाड़ियों की पृष्ठभूमि को देखें, तो ज्यादातर गांवों से हैं और अपेक्षाकृत साधनहीन परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। इनमें सुदूर पूर्वोत्तर, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों से आते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है लड़कियों की सफलता, जो भविष्य का संकेत है। इस बार के एशियाड में कुल 45 देशों ने भाग लिया, जिनमें से 41 ने कोई न कोई मेडल जीता। कुल मिलाकर 1593 मेडल जीते गए, जिनमें से 107 जीतकर भारत चौथे नंबर पर रहा। वर्ष 2018 में हम 70 मेडल जीतकर आठवें स्थान पर रहे थे। पर इस सफलता को तुलनात्मक रूप से देखें, तो चीन ने 383 मेडल जीतकर हमें काफी पीछे छोड़ दिया। क्या हम उसकी बराबरी कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं।चीन दो दशक पहले वैश्विक-स्तर पर पहुंच चुका है। हमसे काफी आगे, पर एक्वेटिक्स और जिम्नास्टिक्स के कारण यह अंतर बहुत बड़ा है। इस बार के एशियाड में एक्वेटिक्स में 167 मेडल दिए गए, जिनमें से 82 चीन ने जीते। हमने एक भी नहीं। वहीं जिम्नास्टिक्स में 51 मेडल थे, जिनमें से चीन ने 19 जीते। यानी 133 मेडल उसे इन दोनों वर्गों में मिले, जहां हमारी उपलब्धि शून्य थी। हमें इन दो वर्गों पर भी ध्यान देना होगा। इन दोनों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वह महंगा है और उसके प्रशिक्षक भी बड़ी संख्या में हमारे पास नहीं हैं। इस बार भारत को सबसे बड़ी सफलता शूटिंग, तीरंदाजी और एथलेटिक्स में मिली है। शूटिंग के कुल 102 मेडलों में से 22 भारतीय टीम ने जीते। केवल मेडल ही नहीं जीते कई स्पर्धाओं में विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। वर्ष 2018 में शूटिंग में भारतीय टीम को 9 मेडल मिले थे। एथलेटिक्स में इस बार 144 में से 29 और तीरंदाजी के 30 में से 9 मेडल भारत को मिले, जबकि 2018 में एथलेटिक्स में 20, शूटिंग में केवल दो मेडल ही मिले थे। तीरंदाजी में भी भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व रिकॉर्ड कायम किये। यह सफलता सरकारी खेल-नीति और धीरे-धीरे तैयार होते इंफ्रास्ट्रक्चर और विज्ञान तथा तकनीक के इस्तेमाल की ओर भी इशारा कर रही है। सितंबर, 2014 में, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने ओलंपिक खेलों में पदक जीतने के उद्देश्य को पूरा करने के प्रयास में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) शुरू की थी। इसका उद्देश्य टॉप्स एथलीटों की निगरानी के लिए एक तकनीकी सहायता टीम बनाना है और सभी प्रकार की सहायता प्रदान करना है। 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम के तहत खिलाड़ियों को काफी पहले खोजकर उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करके मदद करना है। अच्छे कोचों और प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने भी काफी पैसा लगाया है। इसके परिणाम अब दिखाई पड़ने लगे हैं। खिलाड़ियों की एक पीढ़ी अपने बाद की पीढ़ी को तैयार करती है।

पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय टीम ने देशवासियों का सिर ऊंचा कर दिया। इस खेल में हम नीचे नहीं देखना चाहते। इस जीत के साथ भारतीय टीम ओलंपिक खेलों में भाग लेने की हकदार हो गई है। लड़कियों को रजत पदक से संतोष करना पड़ा और उन्हें ओलंपिक में भाग लेने के लिए क्वालीफाइंग प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा। भारतीय हॉकी टीम को जबसे ओडिशा सरकार ने स्पांसर करना शुरू किया है और राज्य में एस्ट्रोटर्फके कई मैदान तैयार किए हैं, उनका असर टीम के प्रदर्शन पर दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है भारतीय टीम के खिलाड़ियों की फिटनेस, जो वैज्ञानिक पद्धतियों के इस्तेमाल से ही संभव हुई है। भारतीय टीम अब मनोवैज्ञानिक-विशेषज्ञों की मदद भी ले रही है।

सात्विक साइराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने दक्षिण कोरिया के चोइ सोलग्यु और किम वोन्हो को सीधे गेम में 21-18, 21-16 से हराकर एशियाई खेलों की बैडमिंटन पुरुष डबल्स स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। इन दोनों खिलाड़ियों की ऊर्जा का लाभ तब मिला जब उन्हें डेनमार्क के कोच मठायस बो की मदद मिली। उन्होंने अपने खेल में आक्रामकता के साथ जरूरत पड़ने पर रक्षा की शैली को भी अपनाया। हमने देखा कि अनुभवी कोच का साथ हो, तो ऊर्जा चमत्कार दिखाती है।

एशियाई खेल स्पर्धाएं हालांकि ओलंपिक स्तर से कमतर होती हैं, पर पिछले कुछ दशकों में एशियाई देशों का खेल-स्तर काफी सुधरा है। 2020 के तोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल पाने वाली अमेरिका की टीम के बाद अगले दो स्थानों पर चीन और जापान की टीमें थीं। इन दो देशों के अलावा दक्षिण कोरिया, चीन ताइपेह, हांगकांग और सिंगापुर वगैरह ऐसे देश हैं, जिनका जीवन-स्तर भारत की तुलना में बेहतर है। केवल आर्थिक-स्तर ही खेलों में सफलता का आधार नहीं होता। लोगों का रहन-सहन और उनकी भौगोलिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। मसलन लंबी दौड़ों में केन्या के धावक सबसे आगे रहते हैं।

आर्थिक-स्थितियां देशों को पदक तालिका में आगे रखती हैं। पश्चिम एशिया के बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों की टीमों में अफ्रीकी मूल के काफी खिलाड़ी इसलिए होते हैं, क्योंकि इन देशों में उन्हें बेहतर पैसा और सुविधाएं मिलती हैं। भारतीय-नीति विदेशी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में शामिल करने की नहीं है।

टमाटर के भाव में जिंदगी का दर्शन

-आलोक पुराणिक

इंसान की इज्जत भी टमाटर के जैसी होती है, कभी दो सौ रुपये किलो के भाव से इज्जत के साथ तुलती है और कभी पांच रुपये किलो की भी औकात न होती। कुछ दिनों के हेरफेर में ही बंदा या टमाटर दो सौ रुपये से पांच रुपये किलो पर आ सकता है, यह सत्य याद रखना चाहिए। अच्छे दिन देखकर बौरा नहीं जाना चाहिए, बुरे दिन भी आते हैं और जल्दी ही आ जाते हैं, टमाटरों को देखकर यह बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है। कुछेक हफ्तों के हेरफेर में ही टमाटर दो सौ रुपये किलो से गिरकर पांच रुपये किलो पर आ गये।

टमाटरों के भाव देखकर जिंदगी का दर्शन समझ लेना चाहिए, कुछ भी परमानेंट नहीं है। न इज्जत परमानेंट है, न बेइज्जती परमानेंट है। न ऊंचे भाव परमानेंट हैं, न गिरे हुए भाव परमानेंट हैं। जो टमाटर आज पांच रुपये किलो फिक्के-फिक्के घूम रहे हैं, वह फिर कभी दो सौ रुपये किलो के लेवल पर जायेंगे। प्याज के साथ भी यही होता है। जमीन से आसमान का जितना सफर प्याज ने किया है, वैसा तो बड़े से बड़े नेता ने भी न किया। इसलिए बहुत अच्छे वक्त में बहुत उछलना न चाहिए और बहुत ही बुरे वक्त में बहुत परेशान न होना चाहिए, सबके दिन फिरते हैं, घूरे के भी और टमाटर के भी। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं,

कई राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव आने वाले हैं, हर किस्म के नेता के दिन फिर सकते हैं। घटिया से घटिया नेता के भी कुछ भाव लग सकते हैं। मंडी उठान पर हो, तो हर आइटम के भाव मिल जाते हैं। नेतागीरी की मंडी में तरह-तरह की मांग आने वाली है। लोकतंत्र में नेतागीरी के मार्केट में चुनाव के वक्त तेजी आ जाती है, अगर लोकतंत्र पाकिस्तान टाइप का न हो तो।

बेइज्जती कोई कितनी सह सकता है, यह सीखना है तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से सीख लेना चाहिए। दुनिया का हर देश भिखारी कहता है पाकिस्तान को, अफगानिस्तान क्रिकेट से लेकर आतंक के मैदान में पाकिस्तान की पिटाई करता है, पाकिस्तानी सब सुनते हैं, सब देखते हैं, सब्र रखते हैं। दरअसल कोई विकल्प नहीं है उनके पास, सब्र न रखें तो क्या करें। जिनके पास कुछ न होता, उनके पास कोई आप्शन ही नहीं है, सब्र रखने के सिवाय।

पाकिस्तान की आफ्त यह है कि उसकी किस्मत टमाटर जैसी भी नहीं है, जिसके भाव कभी-कभी बढ़ भी जाते हैं। पाकिस्तान के मामले में तो ट्रेंड एक ही है नीचे और नीचे और बहुत नीचे। पाकिस्तान की गति दुर्गति देखकर कई बार सवाल यह उठता है कि यह मुल्क बनाया क्यों गया था। इसका एक जवाब यह हो सकता है कि इस मुल्क का निर्माण यह देखने और टेस्ट करने के लिए किया गया था कि कोई कितनी जिल्लत, बेइज्जती सहन कर सकता है।

किसने बनाया हमास को हाईटेक हमलावर

-पुष्परंजन

हमास और इस्राइल के बीच पुल स्केल वार का प्रभाव इंटरनेट तक फैल गया है। जेरूसलम पोस्ट की वेबसाइट पर साइबर हमलों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण शनिवार से ही इस अखबार की वेबसाइट बंद हो गई है। जेरूसलम पोस्ट के प्रधान संपादक एवी मेयर ने एक ई-मेल में लिखा, 'कल सुबह युद्ध शुरू होने के बाद से हमें लगातार विनाशकारी साइबर हमलों का निशाना बनाया गया है। हम उनसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें कई बार हराया है।' एवी मेयर ने मेल में लिखा कि सही से जांच पर पता चल गया कि कौन जिम्मेदार था और वे कहां।

इस्राइल में यहूदी समर्थक बहुत सारे मीडिया वाले साइबर हमलों के जिस तरह शिकार हुए हैं, उससे साफ पता चलता है कि हमास आज की तारीख़ में हाईटेक हो चुका है। हमास दो दशक पहले वाला लड़ाका संगठन नहीं है, जो मानव बमों के ज़रिये दहशत फैलाता था। वर्ष 2003 में रामल्ला, रफात और जेनिया की तंग गलियों में जब मैं मानव बम पर स्टोरी करने गया था, तब यह तसव्वुर में नहीं था कि कबीलाई जैसे दिखने वाले हमास लड़ाके दो दशक बाद, इस्राइल पर रॉकेट की बौछार कर पूरी दुनिया को हिला देंगे।

हमास, हरकत अल-मुकावामा अल-इस्लामिया (इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन) की स्थापना 1960 के आरंभ में फिलिस्तीनी मौलवी शेख अहमद यासीन ने की थी। 1967 के छह-दिवसीय युद्ध के बाद यासीन के लड़ाकों ने इस्राइल के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरुशलम पर इस्राइल के कब्जे के खिलाफ यासीन ने दिसंबर, 1987 में गाजा में ब्रदरहुड की राजनीतिक शाखा के रूप में हमास की स्थापना की। तब पहला इंतिफादा जिसे आम भाषा में विद्रोह कह सकते हैं, हुआ था। हमास का उद्देश्य फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद (पीआईजे) का मुकाबला करना था। वर्ष 1988 में, हमास ने अपना चार्टर प्रकाशित किया, जिसमें इस्राइल के विनाश और फिलिस्तीन में एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना का आह्वान किया गया था।

वर्ष 2017 में हमास ने एक अंतरिम फिलिस्तीनी राज्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर

भी उसने इस्राइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। पीएलओ नेता यासर अराफात और इस्राइली प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन द्वारा ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर करने से पांच महीने पहले, हमास ने पहली बार आत्मघाती बम विस्फोट अप्रैल, 1993 में किया था। हमास ने ओस्लो समझौते की निंदा की, जिसमें अराफात और इत्जाक़ राबिन ने पीएलओ और इस्राइल को मान्यता दी थी। 1997 में अमेरिका ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। यह आंदोलन 2000 के दशक की शुरुआत में दूसरे इंतिफादा के दौरान हिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए चला गया, हालांकि पीआईजे और फत्ताह के तंजीम मिलिशिया भी इस्राइलियों के खिलाफ हिंसा के लिए जिम्मेदार थे। दूसरा 'इंतिफादा' पहले से कहीं अधिक हिंसक था। लगभग पांच साल के विद्रोह के दौरान, 4,300 से अधिक मौतें दर्ज़ की गईं। मार्च, 2002 में हमास द्वारा भयानक आत्मघाती बम विस्फोट में 30 लोग मारे गए, इस्राइली सेना ने वेस्ट बैंक और गाजा के कुछ हिस्सों पर फिर से कब्जा करने के लिए ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड शुरू किया। विगत 20 वर्षों से यही सब चल रहा है।

मगर, सवाल यह है कि हमास को इतना हाईटेक करने में दुनिया की किन शक्तियों का हाथ रहा है? और क्या ये तीसरा इंतिफादा था? नवंबर, 2022 में, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि इस्राइल-फिलिस्तीनी संघर्ष फिर से उबलते बिंदु पर पहुंच रहा है। इस्राइल में मिलिटरी इंटेलीजेंस के प्रमुख अमित सार ने भविष्यवाणी की थी कि वेस्ट बैंक (ग़ाजा नहीं) में हिंसा 2023 में इस्राइल की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी। सार संभवतः चूक गये कि हिंसा का अधिकेंद्र वहां से 93 किलोमीटर दूर गाज़ा होगा। सार को इस हमले की टाइमिंग का भी पता नहीं था। मतलब, इस्राइल की मिलिटरी इंटेलिजेंस सर्विस फेल, देश से लेकर दुनिया भर में दबदबा बनाकर रखने वाली इस्राइली खुफिया एजेंसियां शिन बेत और मोसाद भी फेल। उत्तर-पूर्व तेल अवीव में ही शिन बेत का हेडक्वार्टर है। तेल अवीव में भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित याफो में मोसाद का मुख्यालय है। इस्राइल की इन तीनों एजेंसियों ने देश की नाक कटा दी, यह तो स्वीकार कर लेना चाहिए।

लगभग दो दशकों से भारत के शीर्ष चार हथियार आपूर्तिकर्ताओं में से एक इस्राइल रहा है। शनिवार वाले हमले के हवाले से सवाल है कि एक अरब डॉलर की सालाना सैन्य बिक्री पर क्या आंच आने वाली है? रक्षा उत्पादन और इंटेलिजेंस शेयरिंग में उभयपक्षीय सहयोग के पीछे इस्राइल की खुफिया एजेंसियों की क्रेडिट को तेल अवीव जिस तरह भुनाता रहा, उसे हमास के हमले ने एक झटके में ग्राउंड ज़ीरो पर ला दिया। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए इस्राइल से प्रशिक्षित कुत्ते लाये गये। कश्मीर, उत्तर पूर्व से लेकर तेलांगाना, आंध्र के पुलिस अधिकारी इस्राइल प्रशिक्षण के लिए भेजे गये, वो सब मोसाद-शिन बेत के बढ़ते क़द का परिणाम था। लेकिन यह भ्रम टूट-सा गया।

इस्राइल ने दावा किया है कि गाज़ा अब पूरी तरह उनके नियंत्रण में है। हमास के 1600 लड़ाकों के शव मिले हैं। सबसे चिंता का विषय हमास द्वारा अगवा लोग हैं, जिन्हें वह ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इतना तो मानकर चलिये कि यह लड़ाई यूक्रेन की तरह महीनों लंबी नहीं खिंचेगी। उत्तर कोरिया-रूस राकेट टैक्नॉलोजी का ट्रांसफर ईरान को करते रहे, क्या हमास ने उसका फायदा उठाया? ईरान ने हमास को समर्थन देने के मामले में तालिबान नेताओं को भी शामिल कर दिया। कल तक तालिबान अछूत थे, अब तेहरान के हम प्याला-हम निवाला हैं। सही से देखा जाए तो ईरान, मध्यपूर्व में एक बार फिर कालनेमी के रूप में प्रस्तुत हुआ है। तुर्की और सऊदी अरब इसके उलट, शांति स्थापना और द्वि-राष्ट्र सिद्धांत की पैरोकारी कर रहे हैं। कतर बंधकों को छुड़ाने के वास्ते मध्यस्थता कर रहा है। मगर क्या इस इश्यू पर इस्लामी देश भी बंटे हुए हैं? भारत गुटनिरपेक्षता की नीति को दरकिनार कर इस्राइल के समर्थन में अपना बयान जारी कर चुका है। क्या इसके चुनावी निहितार्थ हैं? जो बात ज़ेरे बहस होनी चाहिए वो है बेन्जामिन नेतन्याहू की सत्ता। न्यायिक सुधार बिल की वजह से नेतन्याहू जिनका निक नेम है बीबी, का हाल बुरा हो रहा था। अदालत से लेकर अस्पताल तक और यहां तक कि उनकी पार्टी में सहयोगी लोग नहीं चाह रहे थे कि नेतन्याहू सत्ता में रहें। सड़कों पर 'शेम-शेम, बीबी गो बैक' के नारे लग रहे थे। शनिवार के हमले के बाद बीबी को जैसे जीवनदान मिल गया है!

अब दुःस्वप्न हो चला है तुरत-फुरत न्याय

-राकेश अचल

सियासत के घावों को ठीक करने की एक मात्र मरहम हमारी न्याय व्यवस्था है लेकिन अब ये मरहम भी सहज-सुलभ दिखाई नहीं दे रहा। वक्त ने हमारी न्याय व्यवस्था को भी दूसरे माध्यमों की तरह निराश करने वाला बना दिया है। हाल के एक नहीं अनेक मामलों में अदालतों के व्यवहार से उम्मीद की जगह निराशा होती है, लेकिन चौतरफा डूबती व्यवस्थाओं में अब भी न्याय व्यवस्था तिनके का सहारा बनी हुई है। गनीमत ये है कि हमारी न्याय व्यवस्था अभी सियासत की तरह छुईमुई नहीं हुई है। अपनी स्वस्थ्य आलोचना को सुन और समझ लेती है।

देश के तीन अलग-अलग मामलों पर नजर डालकर देखिये आपकी समझ में आ जाएगा कि आखिर हमारे मुल्क में हो क्या रहा है? पहला मामला आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। आम आदमी पार्टी के दो मंत्री पहले से जेल में थे और अब एक और सांसद संजय सिंह को जेलाटन करा दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय को अदालत से संजय की अभिरक्षा पर अभिरक्षा मिल रही है। इससे लगता है कि हमारी अदालतें किसी आरोपी का मुंह और रसूख देखकर जमानतें नहीं देती, लेकिन कभी-कभी ये भी लगता है कि आरोपी का रसूखदार और सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफखड़ा होना ही उसके जमानत के अधिकार को क्षीण कर देता है।

संजय सिंह आबकारी घोटाले में आरोपी है। उनके दो अन्य साथी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी इसी मामले में पहले से न्यायिक अभिरक्षा में है। उन्हें सजा मिलेगी, तब मिलेगी, अभी तो वे दोनों हमारी न्यायिक कार्यप्रणाली की अघोषित सजा भुगत रहे हैं। उन्हें जमानत नहीं मिल रही है, निश्चित ही अदालत के सामने ऐसे तथ्य रखे गए होंगे जो उनकी जमानत में बाधक होंगे, लेकिन आम धारणा ये है कि इन आरोपियों को इरादतन जेल के बाहर नहीं आने दिया जा रहा। भले ही अदलात की इसमें कोई भूमिका नहीं हो किन्तु जिनकी भूमिका है अदालत को उसे नजर में रखना चाहिए।

आम आदमी पार्टी के ही दूसरे सांसद राघव चड्ढा को भी न्याय के लिए अदालत की ही शरण लेना पड़ रही है। वे भी राजयसभा के सदस्य हैं और सरकार की आँखों की किरकिरी है। उन्हें भी संजय सिंह की तरह निलंबित किया गया है और उनसे उनका बँगला खाली करने की प्रशासकीय कोशिश कीजा रही हैं। राघव की हाल ही में शादी भी हुई है ऐसे में बँगला खाली करने के सरकारी आदेश के खिलाफ उन्होंने अदालत की शरण ली है। वे अपने निलंबन को भी अदालत में चुनौती दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये सब एक साथ क्यों हो रहा है। राघव चढ्ढा अभी केवल निलंबित हैं, उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है। ऐसे में सरकार उनसे बँगला क्यों छींनना चाहती है? जबकि बांगले के आवंटन में चढ्ढा साहब की कोई गलती नहीं है।

तीसरा मामला न्यूज क्लिक के प्रमुख प्रबीर पुलकायस्थ और उनके साथियों का है। प्रबीर और उनके साथी को प्रवर्तन निदेशालय ने चीन से कथित रूप से 38 करोड़ रूपये की राशि लेने का आरोप है।

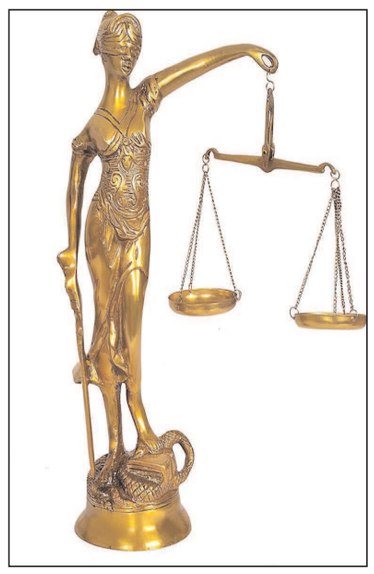

अदालतों के सामने सभी आरोपी हैं, अदालतें उन्हें अभियोजन पक्ष के तर्कों की अनदेखी कर उन्हें भी जमानत नहीं मिली, गोया कि वे कोई आतंकवादी हों। वे विज्ञान के कार्यकर्ता और जनपक्षधरता से जुड़े एक न्यूज चैनल के मालिक है। वे भागकर आखिर कहाँ जायेंगे? उन्हें जमानत पर छोड़े जाने को लेकर ईडी को क्यों आपत्ति है, ये सब समझ से परे है। समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और वेबसाइट के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम (यूएपीए) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि चीन के पक्ष में प्रचार करने के लिए समाचार पोर्टल को विदेश से पैसे मिले थे।

जमानत नहीं दे रही। लेकिन ऐसा हर मामले में नहीं होता। तीनों ही मामलों में आरोपी जिम्मेदार नागरिक है। दो तो राज्यसभा के सदस्य है। एक पुराने पत्रकार है। इन तीनों के साथ अभियोजन आतंकवादियों जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है? क्यों इनके जमानत पर आने से अभियोजन पक्ष को तकलीफ है? क्या ये तीनों समाज और व्यवस्था के लिए बाहर आने पर खतरा हो सकते हैं? शायद नहीं। यदि ऐसा होता तो अदालत उप्र में डॉन माफिया रहे अतीक अहमद के बेटों को रिहा न करती। उन्हें अपने मृत संबंधियों की कब्रों पर फूल चढाने की इजाजत न मिलती। जाहिर है कि अदालतें अपना काम क़ानून के हिसाब से करतीं है। वे दिल्ली में भी वो सब कर सकतीं है जो उत्तरप्रदेश में कर रहीं हैं, लेकिन सरकार की ही मंशा में जब खोट हो तो अदालतें क्या कर सकतीं हैं। उनकी भी तो लक्षण रेखाएं हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा कि सरकार अपने राजनीतिक दुश्मनों के साथ अदलाती प्रक्रिया का इस्तेमाल अपने ढंग से कर अपने दुश्मनों को फंसाये रखना चाहती है। विसंगति केवल इतनी है कि अदालतें इस मामले में कुछ कर नहीं सकतीं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसौदिया, संजय सिंह के बाद आम आदमी के एक और विधायक अमानुल्लाह पर भी ईडी की कृपादृष्टि पड़ गयी है। मुमकिन है कि वे भी कुछ दिनों बाद तिहाड़ में प्रवास पर भेज दिए जाएँ। जन प्रतिनिधि हों या जन पक्षधरता के लिए काम करने वाले पत्रकार अभिव्यक्ति का नारा लगाकर कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकते, उन्हें बचाया भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब जन प्रतिनिधियों और पत्रकारों को सरकार अपना शत्रु मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई करे तो पीड़ितों को अदालतों का संरक्षण मिलना चाहिए। अन्यथा वे सब कहाँ जायेंगे?

पांच राज्यों के चुनावी शोरगुल में मुल्क इन तमाम मुद्दों को भूल गया है। इनको लेकर देश का कोई मंच बोलने की स्थिति में नहीं है। सबके सब आतंकित और डरे हुए है। सबको शायद लगने लगा है कि सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ मुंह खोलने का अर्थ सरकारी प्रताड़ना से गुजरना होता है। जिस देश को हम लोकतंत्र की जननी कहते हैं, उस देश में इस तरह के हालात सोचनीय हैं। हमारे यहां सरकार चाहे तो हत्या के सजायाफ्ता अपराधी के साथ सहृदयता बरत कर उन्हें समय पूर्व रिहा कर सकती है लेकिन सरकार चाहे तो बिना आरोप सिद्ध हुए भी किसी जन प्रतिनिधि या पत्रकार को जब तक चाहे तब तक जेल में रख भी सकती है। सरकार सबसे ऊपर है। शायद अदालतों से भी ऊपर। इसलिए सभी को सरकार के सामने सिर उठाकर बात नहीं करना चाहिए।

चुनाव से पहले बड़ा हेर-फेर, पहली बार पूरे जिले की कमान महिलाओं के हाथ में

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के इतिहास में यह पहला मौका है जब महिला पुलिस को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव से ठीक पहले नारी शक्ति को पुलिस हेडक्वार्टर की और से महत्वपूर्ण जवाबदेही तय की गई है। जिले में एक एडिशनल एसपी, डीएसपी, दो एसडीओपी और एक सूबेदार पद पर महिलाएं आसीन हैं। जिले के पुलिस विभाग में दूसरा सबसे बड़ा और अहम ओहदा एडिशनल एसपी का होता है। इस ओहदे पर आसीन हुई हैं हेमलता कुरील। जी हां हेमलता कुरील को मंदसौर जिले के गरोठ में एडिशनल एसपी पद जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिली है। 2001 बैच की हेमलता कुरील को पुलिस हेडक्वार्टर ने सहायक पुलिस महानिरीक्षक भोपाल से स्थानांतरित कर मंदसौर एडिशनल एसपी के रूप में भेजा है।

डीएसपी, जो पुलिस विभाग में एक महत्वपूर्ण पद होता है। इस महत्वपूर्ण पद की जवाबदारी किरण चौहान को पुलिस मुख्यालय से सौंपी गई है। 2018 बैच की किरण चौहान मध्यप्रदेश के बैतूल से स्थानांतरित होकर मंदसौर आई हैं। मंदसौर में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब डीएसपी किरण चौहान के जिम्मे है।

कीर्ति बघेल को एसडीओपी ग्रामीण का पद सौंपा गया है। ऐसे में कीर्ति बघेल मन्दसौर जिले के ग्रामीणों की सुरक्षा का बीड़ा उठाएंगी। 2017 बैच की महिला अधिकारी कीर्ति बघेल मंदसौर आ चुकी हैं और एसडीओपी ग्रामीण जैसे उच्च पद विराजित हैं।

मंदसौर जिले के सीतामऊ एसडीओपी जैसे श्रेष्ठ पद का जिम्मा निकिता सिंह को सौंपा गया है। निकिता सिंह 2018 बैच की महिला अधिकारी हैं जो पहले बड़वानी, अगर और जावरा बटालियन में जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। वर्तमान में वह जिले के सीतामऊ एसडीओपी के रूप में अपनी सेवाएं प्रधान कर रही हैं। मन्दसौर पुलिस लाइन में एकमात्र सूबेदार के ओहदे का जिम्मा शमीम राणा के जिम्मे है। शमीम राणा पिछले करीब एक वर्ष से पुलिस लाइन का जिम्मा बखूबी संभाल रही हैं। मन्दसौर एसपी अनुराग सुजानिया के मुताबिक पोस्टिंग आर्डर में सभी को कार्य कुशलता के हिसाब से पदस्थापना दी गई है। सभी कर्तव्य का निर्वहन नियमानुसार करेंगे।

टिकट वितरण को लेकर उठने लगाने विरोध के स्वर

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में टिकट वितरण को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय मालवीय बलाई समाज की एक बैठक दशपुर कुंज उद्यान मंदसौर हुई। बैठक में समाज के प्रदेश महासचिव अर्जुनसिंह मेहर, जिलाअध्यक्ष कैलाश मालवीय बालागुड़ा विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित समाजजन जिसमें भाजपा और कांग्रेस एवं अन्य दलों से जुडे लोगों ने सर्वानुमति से निर्णय लिया गया है कि, मालवीय बलाई समाज के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष निहालचंद मालवीय, मंदसौर जनपद पंचायत पूर्व अध्यक्ष शांतिलाल मालवीय, मंदसौर जिला पंचायत सदस्य बसंतीलाल मालवीय लम्बे समय से मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कार्य करते हुए अपनी बीजेपी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। लेकिन इस बार उन्हें हताशा ही मिली है।

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री अशोक खींची पिपलिया मंडी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रतिनिधि प्रवीण मांगरिया, कांग्रेस नेता सुरेश कचनारिया धमनार, धुंधडका ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पूर्व अध्यक्ष किशोर गोयल लगातार कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़कर इस वर्ष 2023 में पहली बार मल्हारगढ़

विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी मजबूती से कांग्रेस हाईकमान के समक्ष पेश कि है।

बैठक में निर्णय लिया गया है कि, विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और उसमें समाज की बडी उपेक्षा की गई है। अब समाज को कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है। अगर कांग्रेस बलाई समाज के किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है तो पूरे संसदीय क्षेत्र में निवासरत समस्त बलाई समाज के लोग उसे विजयी बनाएंगे। अन्यथा समाजजन नोटा का उपयोग करेगा। बैठक में मुख्य रूप से अखिल भारतीय बलाई समाज संगठन प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण मांगरिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास परिषद प्रदेश अध्यक्ष राजू मालवीय ठेकेदार मालवीय बलाई समाज प्रदेश महासचिव अर्जुन सिंह मेहर , प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक खींची पिपलिया मंडी, मंदसौर जनपद पंचायत पूर्व अध्यक्ष शांतिलाल मालवीय, रामरतन आटेला आदि समाजजन उपस्थित थे। बैठक का संचालन सुरेश चैहान जग्गाखेड़ी के द्वारा किया गया और अंत में आभार प्रदर्शन रामरतन आटेला मंदसौर के द्वारा व्यक्त किया गया।

आचार संहिता का पालन करवाने उतरा प्रशासन का अमला

माही की गूंज, मंदसौर।

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब प्रशासन द्वारा इसका पालन करवाने के लिए सख्त हो रहा है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव, अपर कलेक्टर विशाल सिंह चैहान, जिला पंचायत सीईओ कुमार सत्यम सहित प्रशासनिक अमले ने सहकारी, सार्वजनिक और निजी भवनों पर लगे होर्डिंग, दीवारों पर लगे विज्ञापनों को चिह्नित किया। वहीं एसपी अनुराग सुजानिया ने अपने महकमें को टाइट किया और क्षेत्र में लगातार गश्त करने के दिशा निर्देश दिये। वहीं शहर के मध्य एवं हाईवे पुलिस की चेकिंग सख्त हो गई है लगभग हर आने जाने वाले वाहन को चेक किया जा रहा है। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने बताया कि, आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटों के भीतर सरकारी भवनों पर 48 घण्टे और 72 घण्टों में निजी भवनों पर लगे पॉलिटिकल प्रचार संबंधित विज्ञापनों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते आचार संहिता का पालन करवाया जा रहा है। उधर, मंदसौर शहर सहित अंचल में भी पुलिस और प्रशासन द्वारा वाहनों पर लगी प्रचार वाली नम्बर प्लेट और वाहनों के शीशे पर लगी काली फिल्म को हटाया जा रहा है।

भाजपा ने पुराने चेहरों पर जताया भरोसा, कांग्रेस के उम्मीदवारों का इंतजार

माही की गूंज, मंदसौर। साहिल अगवान

सोमवार को दोपहर में चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सहित पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। वहीं शाम को भाजपा ने प्रदेश में उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इसमें जिले की गरोठ विधानसभा को छोड़कर शेष तीन मंदसौर, मल्हारगढ़ और सुवासरा विधानसभा में उम्मीदवार घोषित कर दिए। जिले की तीन सीटों पर पुराने चेहरों पर ही भाजपा ने भरोसा जताया है। वहीं अब गरोठ में टिकट फाइनल होने का इंतजार है, यहां टिकट बदलाव के आसार भी माने जा रहे है।

मंदसौर से यशपालसिंह सिसोदिया को दिया टिकट

विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। इसके साथ ही सोमवार शाम को ही भाजपा ने 57 उम्मीदवारों वाली चौथी सूची में मंदसौर जिले की तीन विधानसभाओं में भी उम्मीदवारों की घोषणा की है। मंदसौर विधानसभा से यशपालसिंह सिसोदिया को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। सिसोदिया लगातार तीन

बार से विधायक है और यह उन्हें चौथी बार टिकट मिला है।

मल्हारगढ़ से जगदीश देवड़ा को टिकट

मल्हारगढ़ विधानसभा से जगदीश देवड़ा को टिकट दिया गया है। तीन बार से विधायक है और प्रदेश की भाजपा सरकार में लगातार मंत्री भी रहे है। उन्हें भी भाजपा ने मल्हारगढ़ विधानसभा से चौथी बार टिकट दिया है। जगदीश देवड़ा को यह आठवीं बार टिकट मिला है।

सुवासरा से हरदीपसिंह डंग को टिकट

वहीं सुवासरा विधानसभा में भाजपा ने हरदीपसिंह डंग को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। 2020 में डंग भाजपा में शामिल हो गए थे और फिर उपचुनाव में जीतकर भाजपा के सरकार में मंत्री बने। भाजपा ने जिले की चार विधानसभा में से तीन में पुराने चेहरों को पुनः मौका दिया है। सोमवार शाम को टिकट फाइनल होते ही कार्यकर्ताओं ने उत्साह भी जताया।

गरोठ में टिकट फाइनल होने का इंतजार

गरोठ का नाम भी लगभग तय हो चुका है मगर भाजपा की अधिकृत सूची अब तक जारी नहीं हुई है। गरोठ विधानसभा से भी पुराना चेहरा विधायक देवीलाल धाकड़ मैदान में नजर आ सकता है। तो वही स्वर्गीय विधायक राजेश यादव के पुत्र विनित यादव, सिंधिया समर्थक मुकेश काला, पूर्व विधायक चंदरसिंह सिसोदिया, राजेश चौधरी का नाम भी चर्चा में है।

कांग्रेस से अब तक नाम नही हुए तय

कांग्रेस अब तक किसी भी विधानसभा में अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाई है। जानकारी के मुताबिक 15 तारीख को कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी जिसमें लगभग डेढ़ सौ उम्मीदवारों को मैदान में उतरेगी। वही मंदसौर की बात करें तो मंदसौर से विपिन जैन, सुवासरा से राकेश पाटीदार, मल्हारगढ़ से श्यामलाल जोकचंद या परशुराम सिसोदिया और गरोठ से दुर्गेश पटेल या टोनू सोजतिया मैदान में नजर आ सकते हैं।

बच्चों को हर वक्त बना रहता है सांप का खतरा

एक ही कमरे में पढ़ने को मजबूर कई क्लासों के छात्र

माही की गूंज, शाजापुर।

कहा जाता है कि, किसी भी देश का भविष्य बच्चों पर टिका होता है। देश का आने वाले कल कैसा होगा यह देश के बच्चे तय करेंगे। देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार बच्चों की पढ़ाई पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। स्कूल बनवा रही है। नई तकनीकों से पढ़ाई कराइ जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में एक स्कूल ऐसा भी है, जिसको लेकर आज वहां पढ़ने वाले छात्र मोर्चा खोले हुए हैं। यहां कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ने वाले छात्र नेताओं और अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि उनका स्कूल बनवा दिया जाए। प्रदेश के शाजापुर जिले के ग्राम निपानिया डाबी में एक प्राथमिक स्कूल है। यहां पर कक्षा 1 से 5वीं तक के छोटे-छोटे बालक बालिकाओं को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाई करवाने के लिए स्कूल शिक्षक मजबूर हैं। बच्चे स्कूल में सांप, बिच्छू, केकडे समेत कई जहरीले जानवरों से अपने भविष्य बनाने को लेकर रोज जंग लड़ रहे हैं।

स्कूल में तैनात हैं 3 शिक्षक-70 छात्रों की संख्या वाले इस प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षिका ओर 1 शिक्षक तैनात हैं। वह सभी छात्रों को एक ही कमरे में पढ़ाने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल की हालात को लेकर जिम्मेदारों को जानकारी नहीं है। स्कूल की प्रभारी शिक्षिका बताती हैं कि इसे लेकर उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार मौखिक और लिखित रूप से बताया है लेकिन इसके बाद भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

हर वक्त बना रहता सांप-कीड़ों का खतरा-बता दें कि, स्कूल के आसपास जंगली इलाका है और यहां पर जहरीले जानवरों का हमेशा भय बना रहता है। स्कूल से चंद कदम दूर ही मुख्य डामरीकरण सड़क बनी है। जो सीधे जिला मुख्यालय को जोड़ती है। इस ग्राम की जिला मुख्यालय से दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। इसके बाद भी जिले के तमाम जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि का इस मार्ग से कई बार आना जाना हुआ लेकिन इस और देखना भी मुनासिब नहीं समझा। सरकार विकास के तमाम दावे करती है लेकिन इस स्कूल की हालात कुछ और ही स्थिति बयां कर रही है।

अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर दूसरों को फंसाने की साजिश रचने वाले को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा

आरोपी को मिली सज़ा लेकिन मृतक की पहचान आज तक नहीं हो पाई

माही की गूंज, रतलाम।

अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर अन्य लोगों को फसाने की साजिश रचने वाले हत्या के आरोपी को न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। खास बात यह है कि, मृतक व्यक्ति की आज तक पहचान नहीं हो पाई, वह अज्ञात ही है। प्रकरण में पुलिस का अनुसंधान काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। हत्या के आरोपी पर 5000 का अर्थ दंड भी लगाया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया गया कि 5 जुलाई 2016 को स्टेशन रोड पुलिस को यह सूचना मिली थी कि सम्यक कॉलोनी के पीछे रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पाया कि एक मृतक पुरुष जो की लगभग 30 से 35 वर्ष आयु का था, उसके सिर पर चोट लगी हैं। चेहरे पर खून लगा था। पुलिस थाना स्टेशन रोड द्वारा मर्ग कायम कर मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात मृतक पुरुष की मृत्यु मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने से हुई थी। इसकी पश्चात प्रकरण में धारा 302 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना निरीक्षक अजय सारवान द्वारा की गई थी। सीसीटीवी फुटेज में पाया कि 4 जुलाई 2016 को मृतक अभियुक्त रामचंद्र के साथ रात्रि 8 बजे प्लेटफार्म नंबर 3 पर से जाते हुए दिखा था, जिस पर से पुलिस द्वारा आरोपी रामचंद्र को गिरफ्तार किया। आरोपी से गहन पूछताछ हुई तो उसने बताया कि रतलाम स्टेशन से 30 से 35 वर्ष के अज्ञात व्यक्ति को मजदूरी का काम करने की बात कर अपने साथ ले गया। बबुल की लकड़ी से मारपीट कर मृतक की हत्या कर दी। मृतक की जेब में चिट्ठी रखकर लकड़ी को झाड़ियां में छिपाई।

आरोपी रामचंद्र द्वारा कुछ लोगों को फसाने के लिए मृतक की जेब में उनके नाम व मोबाइल नंबर की चिट्ठी रखी गई थी। अनुसंधान अधिकारी द्वारा मामले में विस्तृत रूप से अनुसंधान कर सघन विवेचना की गई। आरोपी के विरुद्ध भौतिक मौखिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए। फिर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। आरोपी रामचंद्र का विचारण तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा के न्यायालय में किया गया, जहां अभियोजन अपने द्वारा प्रस्तुत भौतिक, मौखिक एवं वैज्ञानिक साक्ष को संदेह से प्रमाणित करने में सफल रहा था। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी रामचंद्र पिता भगवान बाघरी उम्र 42 वर्ष निवासी मानपुर थाना सीतामऊ जिला मंदसौर को अज्ञात मृतक की हत्या का दोषी पाया। आरोपी को अज्ञात मृतक की हत्या करने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा एवं 5 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।

शहर के रेलवे स्टेशन फिर पकड़ाई सोने की बड़ी खेप

85 लाख की लागत का 1.56 किलो सोने के आभूषण जप्त

माही की गूंज, रतलाम।

आगामी विधानसभा चुनाव और त्योहारों को देखते हुए रेलवे पुलिस भी सतर्क है। चेकिंग के दौरान जीआरपी ने मंगलवार को एक अज्ञात व्यक्ति को रतलाम स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफार्म से 1.56 किलो सोने लगभग 85 लाख के आभूषणों के साथ गिरफ्तार किया। यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगातार स्टेशन पर संदेह होने पर चेकिंग, आउटर चेकिंग, ऑटो चालोको से सघन पूछताछ और अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने जैसी गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही मंगलवार को चेकिंग के दौरान पालटफार्म नंबर 4 पर स्थित फुट ओवर ब्रिज के नीचे खड़े अज्ञात व्यक्ति को पुलिस 1.56 किलो सोने के आभूषण के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल जीआरपी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति सोने के आभूषण लेकर मुंबई जाने के फिराक में प्लेटफार्म नंबर 4 पर ट्रेन के इंतजार में खड़ा है सूचना मिलते ही पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया चेकिंग अभियान के दौरान प्लेटफार्म नंबर 4 पर स्थित फुट ओवर ब्रिज के नीचे अज्ञात व्यक्ति के बैग की जब छानबीन की तो उसमें से करीब 85 लख रुपए के सोने के आभूषण बरामद किए व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम कमलेश सिंह बताया। आरोपी से आभूषण के कागजात व बिल के बारे में पूछा गया तो आरोपी कमलेश जवाब नही दे पाया। तुरंत जीआरपी ने जीएसटी की चोरी का भी मामला सामने आते ही जीएसटी टीम को संपर्क किया जिसमे आगे को कार्रवाई करने के लिए जीएसटी टीम को सौंपा गया।

मध्यप्रदेश-राजस्थान बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान 50 किलो से अधिक मादक पदार्थ जप्त

कार सवार बचने के लिए कार छोड़कर भागा, दुर्घटनाग्रस्त हुई कार

माही की गूंज, रतलाम।

विधानसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के बाद पुलिस ने अंतरराज्यीय सीमा पर नाकेबंदी और चेकिंग शुरू कर दी है। मध्यप्रदेश-राजस्थान की सीमा पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 52 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस को देख कार चालक कार छोड़कर मौके से भाग गया। रतलाम पुलिस ने राजस्थान मध्यप्रदेश की सीमा पर ग्राम अमरपुराकला में चैक पोस्ट लगाई गई। चैकिंग के दौरान एक सफैद रंग कि कार बरखेडा कि तरफसे आती दिखी जो चैक पोस्ट के पास आते उसको रोकने पर कार चालक द्वारा कार को हडबडाहट मे वापस पलट लिया। जिस पर चालक को रोकने का प्रयास किया परन्तु कार नही रुकी व लापरवाही पुर्वक कार को भगा कर ले गया। आगे जाकर देखा तो कार रोड किनारे बने कि.मी. के पत्थर से टक्करा कर रुकी हुई थी। फिर पास जाकर देखा तो कार का आगे का बाये तरफका हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर कार मे कोई चालक नही था। कार के अन्दर चार काले बोरे भरे हुए रखे थे। चार काले प्लास्टिक बोरो मे डोडाचुरा पदार्थ भरा हुआ होना पाया। वजन 52 किलो ग्राम होना पाया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज कर अज्ञात कर चालक के खिलाफप्रकरण दर्ज किया है।

आचार संहिता लगते ही पुलिस ने 600 ग्राम सोना और 50 किलो चांदी की जब्त

माही की गूंज, बड़वानी।

मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सूबे में पुलिस अलर्ट पर है और जगह-जगह पर बूथ बनाकर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। मंगलवार रात बड़वानी जिले में वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से तकरीबन 50 किलो चांदी और 600 ग्राम सोना जब्त किया गया है। बिजनेसमैन के पास से बरामद किए गए सोना-चांदी की कोई रसीद न होने के बाद इसे पुलिस टीम ने जब्त किया और आईटी विभाग में जमा करा दिया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि, इंदौर निवासी व्यापारी अशोक सिरपुर से इंदौर की तरफ जा रहे थे। बिजासन घाट पर पुलिस ने उसके वाहन को रोक कर जब इसकी तलाशी ली तो वाहन चेकिंग में यह सोना और चांदी उनकी कार से जब्त किया गया है। अब तक व्यापारी ने जब्त हुए माल के संबंध में किसी तरह के बिल प्रस्तुत नहीं किए हैं, हालांकि उन्हें इसके लिए इनकम टैक्स विभाग द्वारा समय भी दिया गया है। वहीं इस पूरी कार्रवाई को लेकर सेंधवा एसडीएम अभिषेक श्रॉफ ने बताया कि, आगामी विधानसभा चुनाव के कारण बिजासन घाट पर स्टेटिक सर्विलांस टीम लगी थी। उनकी तलाशी में एक व्यापारी मिले हैं जो सोना और चांदी लेकर जा रहे थे, जिसका वह बिल प्रस्तुत नहीं कर पाए। उन्होंने कहा,''जैसा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि यदि ऐसा कुछ मिलता है तो प्रोसीजर के अनुरूप उसको सीज करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी जाए। जिससे आगामी कार्रवाई की जा सके।

एसडीएम श्रॉफने कहा कि, व्यापारी का कहना है कि वह इंदौर से सिरपुर जा रहे थे और इस बीच उनके घर से कुछ दुर्घटना की सूचना मिली। जिसके चलते वे वापस सिरपुर से इंदौर लौट रहे थे। जब्त हुए सामान के बारे में एसडीएम ने बताया कि अभी प्रारंभिक जांच चल ही रही है, उसके आधार पर पता चला है की लगभग 50 किलो चांदी है और लगभग 500 से 600 ग्राम सोना होने की संभावना है, फिलहाल अभी जांच चल ही रही है।

संपत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

माही की गूंज, खरगोन।

जिले में विधानसभा चुनाव 2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न कराने के लिए चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवराज सिंह वर्मा ने जिले के नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, तहसीलदार एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र मे सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का कड़ाई से पालन करायें।

इस संबंध में दिए गए निर्देश में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि व्यक्तियों विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों या उनके समर्थकों द्वारा किसी शासकीय या अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर या विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खंबों पर झण्डियाँ लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर, फ्लेक्स एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता तो ऐसे पोस्टर फ्लेक्स एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए जिले के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से स्थापित किया जाए। खरगोन नगर पालिका क्षेत्र के लिए इस

दस्ते में लोक निर्माण विभाग एवं नगर पालिका खरगोन के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे तथा यह दल मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद खरगोन एवं संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में कार्य करेगा। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव, पटवारी तथा संबंधित थाना प्रभारी की देखरेख में उपरोक्त दल कार्य करेगा तथा इस हेतु समन्वय का कार्य संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा।

जिले के अन्य नगरीय क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका, नगर पंचायत तथा संबंधित थाना प्रभारी की देखरेख में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता कार्य करेगा। इन दस्तों को एक-एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाये जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिए। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर पंचायत द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चुना, पेन्ट कूची, बॉस एवं सीढी आदि उपलब्ध करायी जायेगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू चूना पेन्ट कूची बॉस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध करायी जायेगी। लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।

यदि किसी व्यक्ति, राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी द्वारा लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जाँच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जाँच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी इस संबंध में की गयी कार्यवाही से संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर खरगोन को प्रतिदिन प्रतिवेदन द्वारा अवगत करावेंगे।

आगामी त्यौहारों को लेकर शांति समिति की हुई बैठक

माही की गूंज, खरगोन। आगामी दिनों में आने वाले नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली त्यौहार को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, पत्रकार एवं शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि, विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है और इसके दायरे में रहकर ही हमें आगामी दिनों में आने वाले त्यौहार मनाना है। इन त्यौहारों के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में इस बात का ध्यान रखा जाए कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो। सभी त्यौहार आपसी सद्भाव एवं सामंजस्य के साथ अच्छे वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया। जिससे जिले में कहीं पर भी अप्रिय स्थिति निर्मित न हो।

स्वास्थ्य कारणों का हवाला देने वाले शासकीय कर्मचारियों का होगा मेडिकल परीक्षण

माही की गूंज, खरगोन।

विधानसभा चुनाव 2023 में संलग्न कर्मचारियों द्वारा अस्वस्थता का कारण बताते हुए चुनाव कार्य से मुक्त रखने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन दिए गए हैं। ऐसे आवेदन करने वाले सभी कर्मचारियों का 11, 12 एवं 13 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय खरगोन में मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा।

अपर कलेक्टर श्रीमती लक्ष्मी गामड़ ने बताया कि, चुनाव कार्य से मुक्त रखने के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों को 11, 12 एवं 13 अक्टूबर को अपने चिकित्सीय दस्तावेजों के साथ मेडिकल परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय खरगोन में उपस्थित होने कहा गया है। यदि कर्मचारी इन तिथियों पर उपस्थित नहीं होंगे तो उन्हें चुनाव कार्य से मुक्त किया जाना संभव नहीं होगा। जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण के बाद मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय द्वारा प्रभारी अधिकारी मतदान दल गठन एवं जिला योजना एवं साख्यिकी कार्यालय खरगोन को सौंपे जाएंगे। मेडिकल परीक्षण में जो कर्मचारी स्वास्थ्य कारणों से चुनाव ड्यूटी के उपयुक्त नहीं पाये जाएंगे, केवल उन्हें ही चुनाव कार्य से मुक्त किया जाएगा।

प्रचार सामग्री पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम होना अनिवार्य

माही की गूंज, खरगोन।

जिले में विधानसभा चुनाव 2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवराज सिंह वर्मा ने चुनाव प्रचार में उपयोग की जाने वाली प्रचार सामग्री पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम, पता व मुद्रित सामग्री की संख्या अनिवार्य रूप से प्रिंट किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

जिले के समस्त प्रिंटर्स एवं मुद्रकों को इस संबंध में दिए गए निर्देश में कहा गया है कि, राजनैतिक दलों व संभावित उम्मीदवारों द्वारा प्रचार-प्रसार भी शुरू कर दिया गया है। चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा पम्पलेट, पोस्टर्स आदि मुद्रित कराए जाते है। इस जिले में व समीपस्थ अन्य जिलों में भी यह शिकायत प्राप्त हो सकती हैं कि कतिपय पम्पलेट व पोस्टर्स बिना प्रकाशक व मुद्रक के नाम व पते के प्रकाशित किए जा सकते हैं और यह भी कि यह पम्पलेट्स व पोस्टर्स ऐसे हो सकते हैं, जिनसे कि सामाजिक विद्वेष, फैले लोक शांति विक्षुब्ध हो और दंगा भडके। इन पम्पलेट व पोस्टर्स पर प्रकाशक एवं मुद्रक के नाम व पते न होने के कारण इनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में यह प्रावधान है कि प्रत्येक पम्पलेट, पोस्टर आदि पर मुद्रक

व प्रकाशक का नाम व पता होना चाहिए। निर्वाचन के पम्पलेट व पोस्टर्स के संबंध में यही प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127-क में उल्लेखित है। इस अधिनियम में यह प्रावधान भी हैं कि प्रकाशक को अपनी पहचान के संबंध में घोषणा मुद्रक को देनी होगी जो उस संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा। जिले में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई पम्पलेट व पोस्टर मुद्रित नहीं करेगा, प्रकाशित नहीं कराएगा, वितरित नहीं और किसी प्रकार से प्रदर्शित नहीं करेगा, जिसमें प्रकाशक व मुद्रक का नाम व पता न हो। साथ ही ऐसे कोई पम्प्लेट व पोस्टर्स प्रकाशित मुद्रित, प्रदर्शित व वितरित नहीं किए जाएंगे, जिनके संबंध में 127 -क (2) के अंतर्गत घोषणा प्रस्तुत नहीं की गई है।

फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 10 हजार रुपये का ईनाम घोषित

माही की गूंज, खरगोन।

उप पुलिस महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा फरार अभियुक्त जोगेन्द्र सिंह पिता हरदेव सिंह उम्र 62 वर्ष निवासी 68 मानव विहार सेक्टर 15 रोहनी दिल्ली, थाना बादली की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया है। इस फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। थाना बलकवाड़ा जिला खरगोन में भादवि की धारा-420, 467, 471 एवं आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जीसी मिश्रा के न्यायालय में चल रहे प्रकरण में अभियुक्त जोगेन्द्र सिंह पिता हरदेव सिंह को फरार घोषित किया गया है। इसकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास करने के बाद भी अब तक आरोपी का पता नहीं चल सका है। जो कोई भी व्यक्ति इस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सूचना देगा उसे 10 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

3 लोगों पर की गई जिला बदर की कार्यवाही

माही की गूंज, खरगोन।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवराज सिंह वर्मा ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराधिक गतिविधियों में लिप्त 3 व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है। नागेश्वर मंदिर के पास थाना बड़वाह निवासी आकाश पिता देवीसिंह कदम एवं सेय्यद गली बड़वाह निवासी जुन्ना ऊर्फजुनैद पिता रफ्फा ऊर्फरफीक को 6 माह की अवधि के लिए तथा ग्राम कुरावद थाना बलवाड़ा निवासी रामा ऊर्फमयाराम पिता केशव को 3 माह की अवधि के लिए खरगोन, इंदौर, देवास, खण्डवा, बड़वानी एवं बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमाओं से तत्काल बाहर चले जाने कहा गया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दो अधिकारियों को जारी किया कारण बताओं सूचना पत्र

माही की गूंज, बड़वानी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर जनप्रतिनिधियों के पास संलग्न कर्मचारियों की जानकारी नही देने पर शासकीय कन्या महाविद्यालय बड़वानी की प्राचार्य एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार राज्यसभा सांसद कार्यालय में शासकीय कन्या महाविद्यालय बड़वानी के कम्प्यूटर आपरेटर अभिषेक श्रीवास के संबंध में जानकारी नही देने पर शासकीय कन्या महाविद्यालय बड़वानी की प्राचार्य श्रीमती वंदना भारती को तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के वाहन चालक राजेश अलावे के संबंध में जानकारी नही देने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेखा जमरे को कारण बाताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। सूचना पत्र में उल्लेखित किया गया है कि उक्त अधिकारियों द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की गई है। उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) के उपनियम (एक)(दो) व (तीन) नियम 3(2) के विपरित है। उक्त संबंध में तर्कसंगत प्रतिउत्तर पत्र प्राप्ति के आगामी 3 दिवस में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। प्रतिउत्त्र प्रस्तुत नही करने एवं समाधानकारक न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कलेक्टर व एसपी ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च

माही की गूंज, बड़वानी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल फटिंग एवं पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद ने विधानसभा निर्वाचन के तहत लागू हुई आदर्श आचरण संहिता के मद्देनजर सोमवार की देर शाम को सेंधवा शहर में दल बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। एसडीएम कार्यालय सेंधवा से प्रारंभ हुआ फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न स्थानों से गुजरा इस दौरान शहर वासियों को आदर्श आचरण संहिता के बारे में जानकारी भी दी गई।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने ली राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक

माही की गूंज, बड़वानी।

विधानसभा निर्वाचन के तहत आदर्श आचरण संहिता लागू है, आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाने के फलस्वरूप स्तंत्रत एवं निष्पक्ष चुनाव कराना हम सभी का कर्तव्य है। अतः सभी पुलिस एवं राजस्व अधिकारी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों के तहत जारी आदेशानुसार कार्यवाही करे। किसी भी स्थिति में आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन न होने पाये। जो भी व्यक्ति आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करते हुए पाये जाये उस पर प्रावधान अनुसार निर्धारित धाराओं में कार्यवाही की जाये। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने उक्त बाते मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों से कही। इस दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि धारा 144 के तहत जारी आदेश का पूर्णतः पालन करवाया जाये। गरबा आयोजक की बैठक लेकर उन्हे बताया जाये कि विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू है, अतः कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। राजनैतिक पार्टी, अभ्यर्थी, उनके एजेंट आदि को ले जाने वाले वाहन में 50 हजार रुपये मूल्य एवं स्टार प्रचारक के लिए 1 लाख रुपये से अधिक की राशि नगर अथवा 10 हजार रुपये मूल्य से अधिक की सामग्री, जिससे मतदाताओ को प्रलोभन दिया जाना संभावित है, यदि चेकिंग के दौरान पाई जाती है तो ऐसी सामग्री को जब्त किया जाये। यदि किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपये से अधिक की नगद राशि पाई जाती है तो आयकर कानून के अंतर्गत कार्यवाही हेतु आयकर प्राधिकारी को सूचना दी जावे। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये से अधिक नगद राशि के साथ पाया है एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराता है तो उस राशि को जब्त न करते हुए सिर्फउसकी प्रविष्टि रजिस्टर में की जाये। जब्त की गई राशि को मुक्त करने के लिए जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक पुनित गेहलोद, जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे, अपर कलेक्टर केके मालवीय सहित वीसी के माध्यम से राजस्व एवं पुलिस अधिकारी जुड़े हुए थे।

तब की तपन से निर्वाण रूपी मीठा फल मिलता है- साध्वी अनुपम शीला

माही की गूंज, रायपुरिया।

रायपुरिया समग्र जैन समाज की सभी परंपराओं के मात्र पैंतीस घर है। उसमें इस वर्ष आचार्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब के बुद्ध पुत्र धर्मदास गणनाय प्रवर्तक श्री जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्ती एवं पुण्य पुंज साध्वी श्री पुण्य शीला जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री अनुपम शीला जी महाराज साहब ठाणा पांच की निश्राय में ऐतिहासिक पांच माह का चातुर्मास संपन्न हो रहा है। जिसमें अनिल कुमार पुखराजमल मुथा परिवार ने इतिहास रचते हुए उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विनीता मुथा ने परिवार का पांचवा मासखमण तैंतीस उपवास के साथ संपन्न किया। तपस्या की अनुमोदना में कई राष्ट्रीय व राजनीतिक हस्तियों ने पधार कर तप अभिनंदन समारोह की शोभा बढ़ाई।

समारोह को धर्म संदेश देते हुए साध्वी अनुपम शीला ने कहा कि, जैन धर्म में सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र व तप को मोक्ष के चार द्वारा बताए गए हैं। तपस्वी बहन सम्यक रूप से तप में आगे बढ़ रही है। तप की तपन से निर्वाण रूपी मीठा फल मिलता है । यह तभी संभव है जब तपस्वी अपनी पूरी तपस्या सम्यक भाव से करें । विनीता बहन राजल बहन अनिल भाई धन्य है तप के ताप पर तप कर मासखमण कि तपस्या से अपना भव सुधर रहे हैं। धर्मदास गण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनीत भाई वागरेचा दाहोद ने कहा जैन समाज में विविधता में एकता का आदर्श उदाहरण रायपुरिया नगर में देखने को मिल रहा है। जहां स्थानकवासी मंदिर मार्गी तेरापंथ समाज मिलकर वितरण प्रभु के मार्ग पर एक होकर चल रहे हैं । पत्रकार हरिशंकर पंवार ने कहा रायपुरिया में साध्वी श्री के पधारने पर साधना की प्रखरता के जो आध्यात्मिक तत्वों का प्रसार हो रहा है उसे पूरा नगर धर्ममय में हो गया है । साध्वी श्री नेहप्रभा जी ने तपस्वी की अनुमोदना में स्तवन प्रस्तुत किया। साध्वी महकश्री जी ने जैन संतों की परंपरा के विशिष्ट संतों का जानकारी दी।

तपस्या का बहुमान तपस्या से किया गया और पैंतीस उपवास की बोली से श्रीमती राजल भंडारी ने व श्रीमती श्वेता मुथा अमित मुथा सहजोडे ने सिद्ध तप की बोली लेकर किया। अभिनंदन पत्र का वचन सुनील मूणत ने किया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष प्रवीण सुराणा, अनोखालाल मेहता, जितेंद्र मेहता आदि कई गणमान्य व समाजजन व नगर जन व परिजन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालक संजय मुथा ने किया।

—: सुचना :—

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम झकनावदा (पेटलावद) में माही की गूंज का प्रतिनिधि आनंद सोलंकी था। करीब 3–4 माह पूर्व से ही आनंद सोलंकी को माही की गूंज के प्रतिनिधि पद से हटा दिया गया था। माही की गूंज की एजेंसी का बकाया भी आनंद सोलंकी द्वारा नहीं दिया जा रहा है। माही की गूंज से इनका कोई लेना–देना नही है। इनके द्वारा माही की गूंज के नाम पर यदि किसी से कोई व्यवहार करता है तो उसका जवाबदार वह व्यक्ति स्वयं रहेगा।

प्रधान संपादक
माही की गूंज

बारिश थमी मगर बर्बादी के निशान छोड़ गई

माही की गूंज, आम्बुआ।

आम्बुआ तथा आसपास का क्षेत्र जो कि सूखे की चपेट में आने जा रहा था, जिससे बचने हेतु क्षेत्रवासियों ने पूजा पाठ के साथ ही विभिन्न देहाती टोटके भी किऐ ताकि बारिश हो जाए। ऊपर वाले ने इनकी ऐसी सुनी की क्षेत्र में घनघोर वर्षा ने सारा जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। अतिवृष्टि के बाद वर्षा थमी जरूर मगर अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गई, कई को ऐसे जख्म दिए जिन्हें वर्षों याद किया जाएगा।

कुदरत कब रुठ जाए, कब मेहरबान हो जाए, कब मालामाल कर दे और न जाने कब कंगाल कर दे...? इंसान समझ ही नहीं सकता। यह स्थिति खेती किसानी पर अधिक लागू होता है। वैसे भी खेती को मानसून का जुआ कहा जाता है। कृषकों की सारी उम्मीदें मौसम पर टिकी रहती है। विशेष कर वर्षा का मौसम कृषि को विशेष रूप से प्रभावित करता है। बरसात अधिक तथा औसत रूप में हुई तो उपज भी अच्छी होने की संभावना बनती है। यदि कम हुई तो फसले खराब होकर सूखने की आशंका बनी रहती है। मगर अतिवृष्टि हुई तो खरीफकी फसले जहां खराब होने की आशंका बढ़ती है वहीं अतिवृष्टि के बाद नदी तालाब कुओं, ट्यूबवेलों में जलस्तर बढ़ने से आगामी फसल हेतु अच्छे संकेत माने जा सकते हैं। यदि खरीफफसले खराब होती है तो कई बार रबी की फसले अच्छी होने से खरीफफसल की कुछ हद तक नुकसानी की भरपाई होने की संभावना रहती है। इस वर्ष पहले बारिश में विलंब हुआ कुछ वर्षा हुई तो किसानों ने हिम्मत कर बीज बो दिया, जो की कही अंकुरित हुआ तो कहीं उगा ही नहीं मजबूरन दोबारा बुवाई करना पड़ी। इसके बाद फसलों की स्थिति कुछ सुधरी तो बारिश एक नहीं अपितु तीन-चार हफ्ते से भी अधिक समय तक रूठी हुई रही। कृषकों ने पूजा पाठ तथा देहाती टोटके किए शायद इसी का परिणाम है कि, बारिश होना प्रारंभ हुई तथा सूखतीं मुरझाती फसलों को जीवनदान तो मिला। मगर वर्षा का क्रम तेज हवा तथा मूसलाधार वर्षा के कारण खेतों में खड़ी फैसले सड़ने गलने की कगार पर पहुंच गई। पहले सूखे ने तो बाद में अतिवृष्टि ने सब चौपट कर दिया। मुंह तक आया निवाला जैसे छिन गया हो। अतिवृष्टि के कारण जलाशय भरे, कुएं नदी तालाब में पानी भर गया मगर इस मूसलाधार हवा बारिश के कारण खेतों में फसले आड़ी पड़ गई तो कई पेड़ धराशाई हो गए। नदी क्षेत्रों में पानी के कारण खेतों में भरा पानी फसलो तथा खेतों की मिट्टी तक उखाड़ ले गया। कई आशियाने जमींदोज होने से परिवार वे घर होकर खुले आसमान के नीचे आ गए। जिले के बरझर क्षेत्र में एक पेड़ ट्रैक्टर ट्राली पर उस समय गिरा जब ग्रामीण गणेश विसर्जन हेतु तालाब पर जा रहे थे। पेड़ गिरने से पांच लोग बच्चों सहित घायल हो गए जो की दाहोद अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, जिनके स्वास्थ लाभ की प्रार्थना की जा रही है।

कांग्रेस मेरे कंधे पर बंदूक रखकर न चलाए- भाजपा विधायक विश्नोई

जबलपुर।

मध्यप्रदेश के चुनावी रण में उतरे भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई की बेबाकी बरकरार है। अजय विश्नोई ने चेतावनी दी है कि कांग्रेस उनके कंधे पर रखकर कभी बंदूक ना चलाए। विश्नोई ने कहा कि, कांग्रेस के लिए उनका कंधा उठेगा लेकिन कांग्रेस की अर्थी उठाने के लिए ही उठेगा।

बीते साढ़े तीन सालों में अजय विश्नोई शिवराज मंत्रीमण्डल में महाकौशल की उपेक्षा का मुद्दा उठाते आए थे। मंत्रीमण्डल में जबलपुर के किसी विधायक को जगह ना मिलने पर विश्नोई का बयान भी खूब चर्चित हुआ था कि महाकौशल उड़ नहीं सकता सिर्फफड़फड़ा सकता है। अपनी ही सत्ता और पार्टी

को आईना दिखाते आए अजय विश्नोई के बयानों के बहाने कांग्रेस भाजपा को घेर रही है और चुनाव में महाकौशल की उपेक्षा का मुद्दा उछाल रही है।

अजय विश्नोई ने इस पर कहा कि, उन्होंने पार्टी में भी सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाई है लेकिन कांग्रेस इसका लाभ लेने की कोशिश ना करें। विश्नोई ने कहा कि ये भाजपा के आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि उनकी साफगोई के बावजूद भाजपा ने उन्हें फिर जबलपुर पाटन सीट से चुनाव मैदान में उतारा है।

50 साल से राजनीति में सक्रिय अजय विश्नोई भारतीय जनता पार्टी से 4 बार विधायक कई विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं लेकिन मौजूदा सरकार में उन्हें मंत्रीपद नहीं दिया गया था। अजय विश्नोई ने कहा कि साल 2020 में सरकार बनाने की शर्त पर मंत्री पद दिए गए थे और उन्हें उम्मीद है कि 2023 में जब प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनेगी तो महाकौशल को कैबिनेट में पर्याप्त स्थान ज़रुर मिलेगा।

उचित मूल्य दुकान से नही मिल रहा खाद्यान्न, लोग हो रहे परेशान

माही की गूंज, उदयगढ़। खलील मंसूरी

अलिराजपुर जिले के उदयगढ़ विकासखंड में उचित मूल्य की दुकान पर कई दिनों से राशन न मिलने से विवाद हो रहे है। पात्र हितग्रहियों ने बताया कि, किसी को दो महीने का तो किसी को तीन महीने का राशन नही मिला है। दुकान संचालक से राशन मांगने पर एक महीने का ही राशन दे रहे है। जिसके कारण कई बार राशन दुकान पर विवाद भी हुए है। ऊभोक्ताओ से विवाद के बाद दुकान संचालक उचित मूल्य की दुकान बंद कर घर चले जाते है जिससे बाकी लोगो को राशन नही मिल पाता है। फिर दूसरे दिन राशन लेने आना पड़ता है। एक महीने का राशन लेने के लिए हितग्रहियों को पांच से छः बार आना पड़ता है तब जाकर खाद्यान्न प्राप्त होता है। लोगो ने बताया कि, सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करवाई है लेकिन फिर भी कोई समाधान नही हुआ है।

टिकट नहीं मिलने पर पूर्व एमपी नाराज, भाजपा को दिखाए तेवर

सागर।

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद टिकट बंटवारे से नाखुश नेताओं का एक गुट बन गया है, जिससे पार्टी में बगावत की स्थिति बन रही है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उनके बेटे सुधीर यादव को पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। पूर्व भाजपा सांसद ने कहा, 'मैं शुरू से ही विद्रोही रहा हूं क्योंकि मैंने कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया। अब, सुधीर यादव (उनके बेटे, टिकट नहीं मिलने का हवाला देते हुए) के साथ अन्याय हुआ, अगर वह (सुधीर) इसके खिलाफ विद्रोह करते हैं तो उन्हें ऐसा करना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है।'

जब उनसे पूछा गया कि ऐसी स्थिति में वह क्या करते तो पूर्व सांसद ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति उनके सामने आती तो वह चुनाव लड़ते। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनका बेटा सुधीर चुनाव लड़ेगा तो वह उसके लिए प्रचार करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने टिकट के लिए पार्टी आलाकमान से बात की है, तो उन्होंने कहा, 'भाजपा आलाकमान इस समय अजीब स्थिति में है। वे अंधे, बहरे और पूरी तरह से तानाशाह बन गए हैं।' पूर्व सांसद ने कहा कि अगर उनका बेटा सुधीर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला करता है तो वह बिल्कुल भी प्रचार नहीं करेंगे।

वहीं भाजपा नेता सुधीर यादव ने कहा, 'मैं चुनाव लड़ने का फैसला कार्यकर्ताओं और समर्थकों से सलाह-मशविरा करने के बाद लूंगा।' जब उनसे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आप दोनों उनके संपर्क में हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने बांदा संसदीय क्षेत्र के लिए काम किया है और मैं उसी सीट से चुनाव लड़ूंगा। वहीं बीजेपी ने 17 अगस्त को विधानसभा चुनाव के लिए जारी उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची में बांदा से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, सागर जिले में दो लाख से अधिक 'यादव समुदाय' के मतदाता हैं जो विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि सागर जिले की किसी भी विधानसभा सीट से पार्टी ने यादव उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, इससे उस समुदाय के मतदाता काफी नाराज दिख रहे हैं। चूंकि सुधीर यादव को बीजेपी से टिकट नहीं मिला है, ऐसे में बांदा, खुरई, सुरखी और नरयावली विधानसभा सीटों पर यादव समुदाय के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव की समुदाय में अच्छी पकड़ है।

आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने पर प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय

माही की गूंज, बड़नगर (उज्जैन)।

थाना बड़नगर पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा कस्बों में किया पैदल मार्च कर पोस्टर बैनर हटवाये। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बड़नगर तहसील में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही धारा 144 लागू होने पर एसडीएम शिवानी तरेटिया, एसडीओपी महेंद्र सिंह, तहसीलदार मारा राय परमार, थाना प्रभारी मनीष दुबे, उनि राहुल चौहान एवं पुलिस टीम द्वारा मंगलवार को सम्पति विरूपण अधिनियम के तहत थाना बड़नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजनैतिक दलों के पोस्टर/फ्लैक्स, दीवालों पर लिखे प्रचार स्लोगन हटवाए गये। साथ ही आम जनता से संवाद कर चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखे एवं भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। बड़नगर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बड़नगर अनुविभागीय दंडाधिकारी एसडीएम शिवानी तरेटिया पुलिस विभाग अधिकारी एसडीओपी महेन्द्र सिंह परमार प्रशासनिक अधिकारी की ओर से मीडिया के सामने जानकारी देते बताया आज हमारे प्रशासिक अधिकारी द्वारा बड़नगर में प्लेस मार्च निकाला अचार आप सबको पता है कि आचार संहिता लग चुकी है धारा 144 प्रभावित रहेगी बड़नगर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आचार संहिता का शक्ति से पालन करवाया जाएगा। बड़नगर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अपील की जाती है कि शांति को व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। भय से मुक्त होकर अपना मतदान करें शांति व्यवस्था आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर बड़नगर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कड़ी नजर रखी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी।

राहुल गांधी ने खेला जाति वाला कार्ड

शहडोल।

राहुल गांधी अपने चुनावी ऐजेंडे को धार देने में जुटे हैं। उन्होंने मंगलवार को जाति जनगणना को देश का एक्स-रे करार देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस केंद्र सरकार को जाति आधारित जनगणना कराने के लिए मजबूर करेगी। यह कवायद ओबीसी, दलितों और आदिवासियों की स्थिति पर प्रकाश डालेगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जातीय जनगणना के मुद्दे पर नहीं बोलने का भी आरोप लगाया।

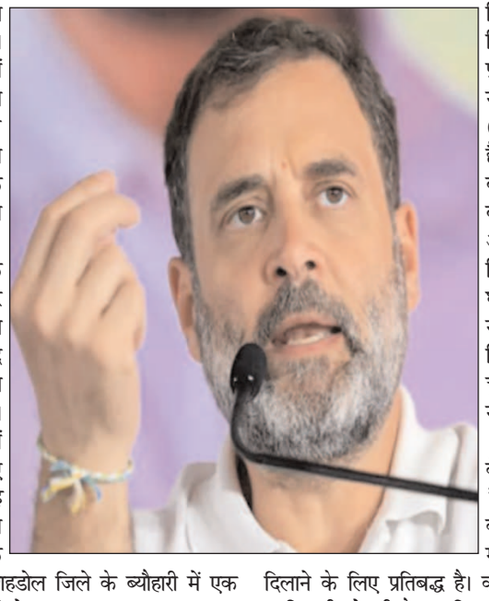

राहुल गांधी ने कहा कि देश में ओबीसी, दलित और आदिवासियों की स्थिति का सच जानने के लिए हम केंद्र सरकार को जातीय जनगणना कराने के लिए मजबूर करेंगे। राजस्थान, और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारों ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू का दी है। वह राज्य विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के एक दिन बाद मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

राहुल गांधी ने कहा कि, देश के आदिवासी, दलित, ओबीसी घायल हैं। जाति जनगणना देश का एक्स-रे है। आइए जांच करें... इससे तस्वीर साफहो जाएगी। हमने प्रधानमंत्री मोदी को जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने की चुनौती दी है। लेकिन वह इसके बारे में बात करने के बजाय, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दक्षिण के बारे में बात करते हैं। वह जाति जनगणना पर बात नहीं करते हैं।

राहुल ने वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की एक किताब का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात नहीं, वरन मध्य प्रदेश भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की प्रयोगशाला है। लेकिन मध्य प्रदेश मृत व्यक्तियों के इलाज, व्यापमं, बच्चों के मध्याह्न भोजन, आदिवासियों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसे कई घोटालों की प्रयोगशाला है। राहुल गांधी एमपी के शहडोल जिले के ब्यौहारी में कांग्रेस की चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।

राहुल ने कहा कि, भाजपा के लिए आदिवासी केवल 'वनों के वासी' हैं, जबकि कांग्रेस उन्हें जमीन का मालिक मानते हुए उन्हें उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस आदिवासियों को सदा आदिवासी बोलती है, जबकि भाजपा उनके लिए 'वनवासी' शब्द का उपयोग करती है। आदिवासी का अर्थ है, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले रहते थे और जो यहां की जमीन के मालिक हैं, जबकि वनवासी का मतलब है, जो केवल वनों में रहते हैं और उनका जमीन पर कोई हक नहीं है।

फर्जी निकला शिवराज पर केबीसी वाला वीडियो

भोपाल।

सोशल मीडिया पर केबीसी से जुड़ा वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एक आपत्तिजनक सवाल जवाब दिखाया गया है। फैक्ट चेक पड़ताल में यह वीडियो फर्जी पाया गया है। इस बीच सोनी टीवी ने भी इस पर बयान जारी किया है। सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर चैनल ने कहा है कि, उन्होंने इस मुद्दे पर साइबर क्राइम सेल में शिकायत की है। साथ ही इस फेक वीडियो को साझा करने से भी लोगों को आगाह किया है। दरअसल वीडियो में अमिताभ बच्चन की नकली वॉयस ओवर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अपमानजनक सवाल पूछा गया था, जिसे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी साझा किया था।

सोनी टीवी ने ये कहा

सोनी टीवी ने एक्स पर लिखा, 'हमें हमारे शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के एक अनाधिकृत वीडियो के प्रसार के बारे में सतर्क किया गया है। यह वीडियो भ्रामक रूप से हमारे होस्ट की मनगढ़ंत वॉयस-ओवर को ओवर लेप करता है और विकृत

सामग्री प्रस्तुत करता है। हमारे लिए शो की ईमानदारी और हमारे दर्शकों के भरोसे को कायम रखना सर्वोपरि है, और हमने साइबर सेल से इसकी शिकायत की है। हम ऐसी गलत सूचनाओं की कड़ी निंदा करते हैं, अपने दर्शकों से सतर्क रहने और असत्यापित सामग्री साझा करने से बचने का आग्रह करते हैं।'

केबीसी के फेक वीडियो में क्या

सोनी टीवी ने जिस वीडियो का हवाला दिया है उसे कांग्रेस सदस्य रितु चौधरी ने साझा किया था। यह कौन बनेगा करोड़पति की नियमित प्रोग्रामिंग की एक क्लिप जैसा लग रहा था। हालांकि, एक बार जब अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछा, तो आवाज़ थोड़ी बदल गई और यह उनके लिप-सिंक के साथ मेल नहीं खा रही थी, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है। पहली नजर में ही ये वीडियो फर्जी समझ आ रहा है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने इसे साझा किया था।

ओरिजनल वीडियो में क्या था

केबीसी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 20 जनवरी 2023 को पोस्ट किए गए वीडियो में छेड़छाड़ कर वायरल किया जा रहा था। अमिताभ बच्चन ने ओरिजिनल वीडियो में कंटेस्टेंट से सवाल पूछा था- इनमें से कौनसी फिल्म खिलाड़ी की नहीं है। विकल्प दिए 1. साइना, 2. पीकू, 3. भाग मिल्खा भाग, 4. शाबाश मिठू।

प्रतिभागी ने खुद सामने आकर किया था खंडन

वीड़ियो में दिख रहे मध्यप्रदेश के प्रतिभागी भूपेंद्र चौधरी ने फेक वीडियो वायरल होने के बाद खुद सामने आकर लोगों के सामने सच बताया। उन्होंने बताया कि वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की नियत से बनाया गया था।

कांग्रेस मीडिया प्रभारी केके मिश्रा पर एफआईआर

भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल ने एक्शन लेते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे केबीसी के फर्जी वीडियो पर रविवार को शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके बाद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी केके मिश्रा पर एफआईआर दर्ज की गई थी। केके मिश्रा ने केबीसी वीडियो को सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर साझा किया था।

क्या कलसिंह कमल खिला पाएंगे...?

माही की गूंज, झाबुआ/थांदला

राजनीति में न तो स्थाई दोस्त होते हैं और ना ही स्थाई दुश्मन। राजनीति में अगर कुछ स्थाई होता है तो वह होता है निजी स्वार्थ, निजी स्वार्थ की आड़ में दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन भी दोस्त। कुछ ऐसा ही मामला थांदला विधानसभा में भाजपा के भीतर चल रहा है। यहां भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट में पूर्व विधायक कलसिंह भाभर को एक बार फिर टिकट देकर उन्हें थांदला विधानसभा में कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी है। टिकट वितरण के तत्काल पश्चात तो किसी भी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। खवासा क्षेत्र के अन्य दावेदार पूर्व मंडल अध्यक्ष रमेश बारिया ने जरूर पार्टी के इस निर्णय का स्वागत करते हुए घोषित प्रत्याशी को बधाई दी थी। लेकिन पिछले दिनों पलवाड क्षेत्र के वरिष्ठ नेता पूर्व जनपद अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि दिलीप कटारा ने पार्टी के इस निर्णय को चुनौती देते हुए असंतुष्टों के साथ एक बैठक करते हुए पार्टी से टिकिट बदलने की मांग कर दी। दिलीप कटारा के अनुसार पार्टी कलसिंह भाभर के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को टिकट दे तो वे पार्टी को जिताने का भरोसा दिलाने का दावा कर रहे हैं। वहीं उनका आरोप है कि, कलसिंह भाभर ने विभिन्न मोको पर भाजपा कार्यकर्ता का साथ देने के बजाय कांग्रेस का साथ दिया और क्षेत्र में भाजपा की जड़े कमजोर की है और इसका समर्थन अन्य असंतुष्ट नेताओं ने किया।

खेर भाजपा टिकट बदलती है या नहीं यह तो उनका आंतरिक मामला है लेकिन इतना तो तय है कि, पार्टी के लिए असंतुष्ट नेता खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ने वाली कहावत चरितार्थ कर सकते हैं। ऐसे में पार्टी प्रत्याशी कलसिंह भाभर को कांग्रेस के अलावा अपनी ही पार्टी के असंतुष्ट से मुकाबला करना पड़ सकता है। वही सांसद प्रतिनिधी दिलीप कटारा व मेघनगर जनपद के सांसद प्रतिनिधी तानसिंग मैड़ा को पार्टी के विरूद्ध गतिविधी करने पर सांसद प्रतिनिधी के पद से हटा दिया गया।

जहां तक कांग्रेस का सवाल है पार्टी ने प्रदेश में 230 विधानसभा में से अभी तक एक प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है। लेकिन पार्टी के वर्तमान विधायक व अन्य क्षेत्रों में दावेदार सक्रिय होकर कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव प्रचार में लगे हैं। उसी अनुरूप थांदला विधानसभा में वर्तमान विधायक वीरसिंह भूरिया ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी है। अपनी सहज और सरल छवि के दम पर वे इस बार दुगने वोट से जीत का दावा अवश्य कर रहे हैं लेकिन वे विपक्ष के विधायक के रूप में क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि नहीं दिला पाये हे। फिलहाल तो कांग्रेस में अन्य कोई दावेदारी पेश नहीं कर रहा है लेकिन विधायक को भी अपनी ही पार्टी के पास असंतुष्ट को साधना होगा और उन्हें पूरे मन के साथ चुनाव प्रचार में लगाना होगा। अन्य दल का यहां कोई विशेष प्रभाव नहीं है लेकिन जयस अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कर सकता है। जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 9 से जिस प्रकार जयस उम्मीद्वार ने सभी राजनीतिक पंडितों को चोकाया था ऐसा ही कुछ करने का दावा जयस नेता अवश्य कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की उपस्थिति नगण्य ही रह सकती है। कांग्रेस और भाजपा के असंतुष्ट नेता जरूर निर्दलीय रूप से खड़े होकर प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। वहीं भाजपा व कांग्रेस के बीच पेटलावद विधानसभा में भी रोचक मुकाबला हो सकता है। यहां भी भाजपा ने पूर्व विधायक निर्मला भूरिया को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस की ओर से वर्तमान विधायक वालसिंह मैडा ही संभावित उम्मीद्वार माने जा रहे है। यहां जयस भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है और कांग्रेस व भाजपा के भी कुछ असंतुष्ट अपनी दावेदारी जता सकते हैं। झाबुआ विधानसभा में यह देखना रोचक होगा कि, यहां कांग्रेस वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया को टिकट देती है या उनके पुत्र विक्रांत भूरिया को। जबकि भाजपा ने यहां गत उपचुनाव में पराजित उम्मीद्वार भानु भुरिया पर अपना विश्वास जताया है। यहां के मतदाताओं में रोचक चर्चा यह सुनने में आ रही है कि, लोग कह रहे की कांतिलाल भूरिया अपने बेटे के लिए सीट का त्याग करेंगे या इंदौर में भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय की तरह खुद टिकट लेकर लड़ेंगे।

अमरगढ़

स्टाप डेम में नहाने गए नाबालिक की डूबने से मौत

हत्यारे नाले और रेलवे लाइन के बीच है स्कूल, वॉल बाउंड्री की दरकार

माही की गूंज, अमरगढ़

सरकार देश के भविष्य पर यु तो बहुत खर्च कर रही है लेकिन जिले में ग्रामीण स्कूलों की स्थिति किसी से छुपी नही है। ग्राम पंचायत अमरगढ़ में सोमवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद प्राथमिक विद्यालय अमरगढ़ टेकरी में अध्ययनरत कक्षा तीसरी का बालक आशीष पिता पप्पू डामर स्कूल की छुट्टी के बाद अपने दोस्तों के साथ ग्राम में स्थित भंडारिया स्टाप डेम पर नहाने गया था। शाम करीब 5 बजे के करीब बालक स्टाप डेम में नहाने गया लेकिन बाहर निकलने में नाकाम रहा और डूबने से उसकी मौत हो गई।

पेटलावद

जिसकी जानकारी रास्ते से निकल रहे लोगो ने बालक के परिजनों को दी। मौके पर उसके पिता, परिजन व सरपंच पहुंचे जो बालक को लेकर पेटलावद सिविल अस्पताल आए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

स्टाप डेम ओर रेलवे लाइन के बीच स्थित स्कूल

ग्राम पंचायत में स्थित शासकीय हाई स्कूल ग्राम से निकल रही दिल्ली-मुम्बई रेलवे लाइन से महज 10 से 15 फिट की दूरी पर स्थित है। वही दूसरी ओर एक बरसाती नाला भी बहता है जिस पर स्टाप डेम बना होने के कारण बारिश के मौसम सहित करीब 5 माह तक पानी भरा रहता है। ऐसे में हाई स्कूल के साथ पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच पिन्टू सिंह भूरिया द्वारा बीते कई वर्षों से वॉल बाउंड्री की मांग की जा रही है। लेकिन प्रशासन ऐसी गहरी नींद में सोया है कि, किसी भयानक हादसे के बाद ही जागेगा। ऐसे में स्कूल को भी चाहिए कि, दोपहर में जब लंच के लिए छुट्टी होती है तो विद्यार्थियों को इधर-उधर न भटकने देकर स्कूल केम्पस में ही रखे।

कृषि उपज मंडी के पास तालाब में डूबने से दस वर्षीय बालिका की मौत

पेटलावद के पास तालाब में डूबने से दस वर्षीय बालिका की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अंजू पिता हीरालाल डामर निवासी राम मोहल्ला पेटलावद मंडी के ऊपर स्थित तालाब के अंदर रोज की तरह आज भी नहाने के लिए गई थी। जहां पर बालिका अंजू गहरे पानी में चली गई जिसके कारण पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। परिजनों द्वारा तत्काल उसे सिविल अस्पताल लाया गया जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के पश्चात परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

क्या होगा सांसद गुमानसिंह डामोर पर अंतिम निर्णय

जोबट और रतलाम ग्रामीण कहीं से उतारेगी पार्टी या फिर लोकसभा में ही मिलेगा मौका

माही की गूंज, झाबुआ/रतलाम

भाजपा ने अपनी दूसरी सूची में 7 सांसदों को टिकिट देकर चौका दिया। सूची आने के बाद राजनीतिक पंडित अपने-अपने हिसाब से इस अपनी राय रखते इसे भाजपा का मास्टर स्टोक तो कई जगह इसे उड़ता तीर बता रहे हैं। सांसदों को टिकिट देने के बाद विधानसभा से दावेदारी करने वाले कई बड़े नेता भाजपा नेतृत्व से नाराज तक हो गये। भाजपा की सूची में अभी और भी सांसद हैं जिनको पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है उसमें केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद सिंधिया का नाम भी लिया जा रहा। राज्यसभा सांसद सुमेरसिंह सोलंकी के भी चुनाव मैदान में उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं। पेटलावद विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरने की छटपटाहट रतलाम-झाबुआ के सांसद गुमानसिंह डामोर में साफदेखी गई थी। लेकिन पार्टी ने पहली ही सूची में डामोर की दावेदारी निरस्त कर दी। राजनीतिक सूत्रों की माने तो झाबुआ और पेटलावद विधानसभा की टिकिट से पूर्व सांसद डामोर से पार्टी ने कोई राय सुमारी तक नही की। बाद में थांदला और सैलाना सीट से भी सांसद डामोर का नाम चर्चा में रहा लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने की बात को खुद रतलाम में खारिज कर चुके हैं। बताया जा रहा है पार्टी सैलाना से सांसद को मैदान में उतारना चाह रही थी लेकिन सांसद ने अपनी जबाबदारी पर संगीता चारेल का टिकिट तय करवाया। सांसद डामोर के संसदीय क्षेत्र में अब केवल दो सीटों जिंसमे जोबट और रतलाम ग्रामीण है इस पर पार्टी ने कोई प्रत्याशी घोषित नही किया है और जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध मैदान में उतारा है भाजपा सांसद डामोर पर भी दांव खेल सकती है। ज्यादा चर्चा में इस बार जोबट विधानसभा है जहां भाजपा कमजोर दिखाई दे रही है, कांग्रेस की नेता सुलोचना रावत को भाजपा जॉइन करवा कर उपचुनाव में भाजपा के बेनर पर जितवा भले दिया लेकिन जीत के बाद से कोई खास उपस्थिति दर्ज नही करवा सकी और स्वास्थ्य संबधी समस्या के चलते कोई कार्य नही कर पाई। भाजपा के पूर्व विधायक माधोसिंह डावर और सुलोचना रावत के पुत्र दोनों इस सीट से मैदान में उतरना चाहते हैं जिनके सर्वे इस बार कमजोर बताये जा रहे। जिसके चलते पार्टी नए चेहरे पर दांव खेलने के प्रयास में है और सांसद डामोर का नाम चर्चा में बना हुवा है। दूसरी और रतलाम ग्रामीण जहा से गुमानसिंह डामोर का राजनीतिक करियर शुरू होने की चर्चा थी वही से मैदान में उतारे जाने की चर्चा है। यहां जयस संगठन का प्रभाव साफदेखा जा रहा है और संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि, यहां कांग्रेस जयस समर्थित चेहरे को टिकिट दे सकती है ऐसे में भाजपा के लिए ये सीट चुनौती बन सकती है इससे उभरने के लिए भाजपा इस सीट से भी सासंद डामोर के नाम पर विचार कर रही है। संसदीय क्षेत्र की जोबट और रतलाम ग्रामीण सीट पर कांग्रेस का प्रभाव रहा है जिससे निपटने के लिए पार्टी रणनीति बना रही है सब कुछ सही रहा तो भाजपा यहां से चर्चा में चल रहे नाम विधायक और पूर्व विधायक को ही मौका देगी लेकिन नए उम्मीद्वार और परिवर्तन के नाम पर सांसद को विधानसभा के रण में उतारे जाने की संभावनाओ से भी इंकार नही किया जा सकता है।

सीरियल चोर गिरोह धराया, लगातार दे रहा था बेख़ौफ़ वारदातों को अंजाम

चोरों में नही बचा वर्दी का ख़ौफ़ फिर दिया चोरी की वारदात को अंजाम

माही की गूंज, पेटलावद/बरवेट

पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी क्षेत्र में चोरी की बारदाते थमने का नाम नही ले रही। एक ओर पुलिस ने पिछले दिनो मे पुलिस थाना रायपुरिया के गांव बरवेट, जामली एंव पुलिस थाना पेटलावद के ग्राम बावडी मे अज्ञात चोरो के द्वारा सिरियल चोरी की वारदातो का खुलासा किया। लगातार चोरी की वारदात से जहा लोगो रोष व्याप्त था। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अगम जैन ग्राम जामली, बरवेट, बावडी का दौरा करना पड़ा था। पुलिस थाना रायपुरिया एंव पेटलावद तथा सायबर सेल झाबुआ की टीम के द्वारा अज्ञात आरोपीयो की सघन तलाश के दौरान मुखबीर की सुचना पर उक्त सिरियल चोरी कि घटनाए में शामिल चोरों को धरा गया।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी अनुसार ग्राम मोहनकोट के कलसिह पिता भीमा जाती दायमा, अपसिंह पिता उंकार निवासी बेकल्दा, सुनील पिता कलसिह दायमा कदवाली, चन्दन मुणीया, सुमित डामोर, सुरेश मुणीया निवासी कदवाली के द्वारा इन वारदातों को अंजाम दिया गया। पुलिस ग्राम मोहनकोट से तीन आरोपियों को पुछताछ हेतु थाना लाई थी जिनसे गहन पुछताछ करने पर उक्त तीनो आरोपीयो ने अपने साथी के साथ मिलकर उक्त सिरियल चोरी की घटनाएं करना स्वीकार किया है। आरोपियों की निशान देही पर नगदी एवं चाँदी की रकमे करीब 20 हजार रुपये का जप्त किये। पुलिस द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

चोरों ने फिर किया हाथ साफ,वर्दी का ख़ौफ़खत्म

सोमवार को पुलिस ने चोर पकड़े तो मंगलवार-बुधवार की रात में पेटलावद थाना क्षेत्र के ग्राम दुल्लाखेड़ी में हनुमान मंदिर घाटी के पास भूरजी भूरिया के कच्ची झोपड़ी में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश यहां पीछे दीवार में सेंध लगाकर अंदर घुसे थे और नगदी व आभूषणों पर हाथ साफ किया। ग्रामीण भूरजी ने बताया उसके घर में 2 किलो के करीब चांदी के आभूषण थे और सोयाबीन काटने की मजदूरी करीब 15 से 20 हजार रुपए पेटी में रखे हुए थे। बदमाशो ने बीच का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और पेटी को बहार लेजाकर उसमें रखे सारे आभूषण और नकदी ले भागे। चोरी का तब लगा जब रात में तेजाजी महाराज के नाटक में से पुत्र लोटा ,जब दरवाजा अंदर से नहीं खुला तो उसे शक हुआ, इसके बाद जब उसने पीछे जाकर देखा तो दीवार में बड़ा छेद था और पेटी बाहर पड़ी थी। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।

कांग्रेस में टिकिट को लेकर फंसा पेच, पहली सूची में नाम आने की उम्मीद कम

विरोध से बचने के लिए आचार सहिंता के बाद ही टिकिट की घोषणा करने की थी कांग्रेस की योजना

समय से पूर्व टिकिट जारी होने के बाद भी नही बना भाजपा प्रत्याशी का माहौल

माही की गूंज पेटलावद, राकेश गेहलोत

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार पूरे प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव होंगे, प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसम्बर को परिमाण घोषित किये जाना है। बात करे भाजपा की तो भाजपा की भाजपा ने समय से काफी पहले प्रदेश में कई सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। जिंसमे पेटलावद विधानसभा क्रमांक 195 भी शामिल हैं। दूसरी और कांग्रेस के लिए मैदान में प्रत्याशी को उतारना ही टेडी खीर बन कर रह गया है जिस कारण कांग्रेस अब तक एक भी सूची जारी नही कर पाई। पेटलावद विधानसभा को लेकर कांग्रेस के लिए बीते 20 वर्षो में पहली बार इतनी बड़ी परेशानी देंखने को मिली कि, यहाँ प्रत्याशी तय करने को लेकर अब तक एक राय बनती नही दिख रही।

पहली सूची में भी संभावना कम, होल्ड पर रह सकती है पेटलावद विधानसभा

आचार सहिंता लगने के बाद कांग्रेस की सूची का सब को इंतजार है जो नवरात्रि के शुरुआत में आने की पूरी सभावना है लेकिन जिस तरह से पेटलावद विधानसभा में उठापटक चल रही है कांग्रेस के लिए प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगाना सबसे मुश्किल नजर आ रहा है। बीते कई वर्षों में कांग्रेस के लिए पेटलावद विधानसभा में ऐसी परिस्थिति नही बनी है जो कि इस बार बन गई है। प्रदेश में होने वाले चुनाव में भाजपा-कांग्रेस के मध्य 2018 चुनाव की तरह मामला कसमकस होने की उम्मीद् है। इसलिए हर सीट पर उम्मीद्वार को लेकर गहन चिंतन जारी है। कांग्रेस आखिर में जितने वाला प्रत्याशी मैदान में उतारना चाहती हैं फिर उसके लिये वर्तमान विधायक या किसी बड़े नेता का टिकिट काटना भी क्यो न पड़े। वर्तमान में पेटलावद विधानसभा में जो परिस्थिति बन रही है उससे यही कहा जा सकता है कि, कांग्रेस भले दो-चार दिन में अपनी पहली सूची जारी कर दे, उसमे पेटलावद विधानसभा का नाम होने की उम्मीद् कम है। बताया जा रहा है, यहां की टिकिट होल्ड की जा सकती है और अंत तक बी फार्म लाने तक मामला जा सकता है। मतलब टिकिट के सभी दावेदारो को नामांकन भरने तक का भी इंतजार किया जा सकता है।

विधायक मेड़ा के लिए रास्ता मुश्किल, जयस-बाप पार्टी से पार पाने की रणनीति

चार बार इस सीट से चुनाव लड़ कर दो बार विधायक रहे वालसिंग मेड़ा के लिए इस बार राह आसान नही है। हालांकि सिटिंग विधायक होने के चलते उनकी टिकिट तय मानी जा रही है लेकिन अन्य दावेदारो से या खासकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष मालू अकमाल डामोर से कड़ी टक्कर मिल रही है। विधायक वालसिंग मेड़ा की टिकिट से लेकर हार और जीत तक मालू की चुनाव में उपस्थिति तय करेगी। आम आदमी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, सहित जयस तथा अन्य दल और निर्दलीय प्रत्याशी हर बार की तरह कमजोर प्रदर्शन वाले मैदान में नही होगी। इस बार जो भी उतरने की तैयारी में है अपना-अपना वोट बैंक लेकर उतर रहे हैं। किस प्रत्याशी का वोट किस पार्टी को नुकसान करेगा ये भविष्य की गर्त में है। लेकिन बाप पार्टी और जयस सीधा कांग्रेस को नुकसान करेगी ऐसा माना जा रहा है, जिसके पार पाने की रणनीति के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी तय करेगी।

भाजपा अब तक नही बना पाई माहौल, दबी जुबान से जारी विरोध

कांग्रेस के मुकाबले भाजपा टिकिट देने में जरूर आगे रही लेकिन भाजपा को इसका कोई खास लाभ होता नही दिख रहा। लगभग दो माह पूर्व पेटलावद विधानसभा से भाजपा ने पूर्व विधायक निर्मला भूरिया को प्रत्याशी घोषित कर दिया। प्रत्याशी घोषित होने के बाद मिले इतने समय के बाद भी भाजपा अपने पक्ष में माहौल नही बना पाई। निर्मला भूरिया का खुलकर कोई विरोध देंखने को नही मिला लेकिन खुलकर समर्थन भी किसी ने नही किया। क्षेत्र में दौरों के दौरान कार्यकर्ताओ की कमी, स्वागत में अनदेखी ओर सोशल मीडिया पर न के बराबर समर्थन भाजपा और निर्मला भूरिया के लिए चिंता का विषय बन हुआ है। कार्यकर्ताओ से दूरी और लगातार भाजपा की और से मैदान में उतरने के चलते दूसरे आदिवासी नेताओं का खत्म होता राजनीतिक केरियर बड़ी परेशानी भाजपा के लिए खड़ी कर रहा है। भाजपा कार्यालय के उद्घाटन को लेकर किसी प्रकार का कोई बड़ा आयोजन नही होना बता रहा है कि, कार्यकर्ता और पदाधिकारी फिलहाल भाजपा के टिकिट घोषणा से खुश नही है।

अंत मे...

क्षेत्रीय पार्टी, संगठन और आम आदमी पार्टी की उपस्थिति से ये चुनाव रोचक होने वाला है। इस बार विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। एक ओर भाजपा चाहती हैं कि, ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतरे वही कांग्रेस को जीत का मंत्र एकजुट होकर मैदान में उतरने का लग रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी तय होने के बाद विधानसभा के आंकड़े तेज़ी से बदलते दिखाई देंगे। साथ ही परिमाण की धुंधली तस्वीर थोड़ी-थोड़ी साफ दिखने लगेगी। किसी भी प्रत्याशी की हार और जीत का फर्क हर बार की तरह मामूली रहने के कयास लगाए जा रहे हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई टाइटल कोड नंबर- एमपीएचआईएन-76422